

卷之三

अथ २१४१ नीचे

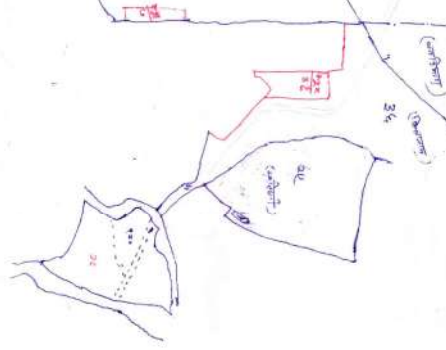
अधिकृत प्रहरी
राजिनीकांत एड. पाटील
Nashik
राजिनीकांत एड. पाटील
राजिनीकांत एड. पाटील

ਮਾਯਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਗ - ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ ਭਾਗਵਾਨ
 ਭੋਲੀ ਭਾਗ - 25 ਫੀਟ - 132 ਫੀਟ



ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ

ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ
 ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ
 ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ
 ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ



ਭੋਲੀ ਭਾਗ ਪਰਮਿਟ

ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ (ਮਾਲੀਆ)

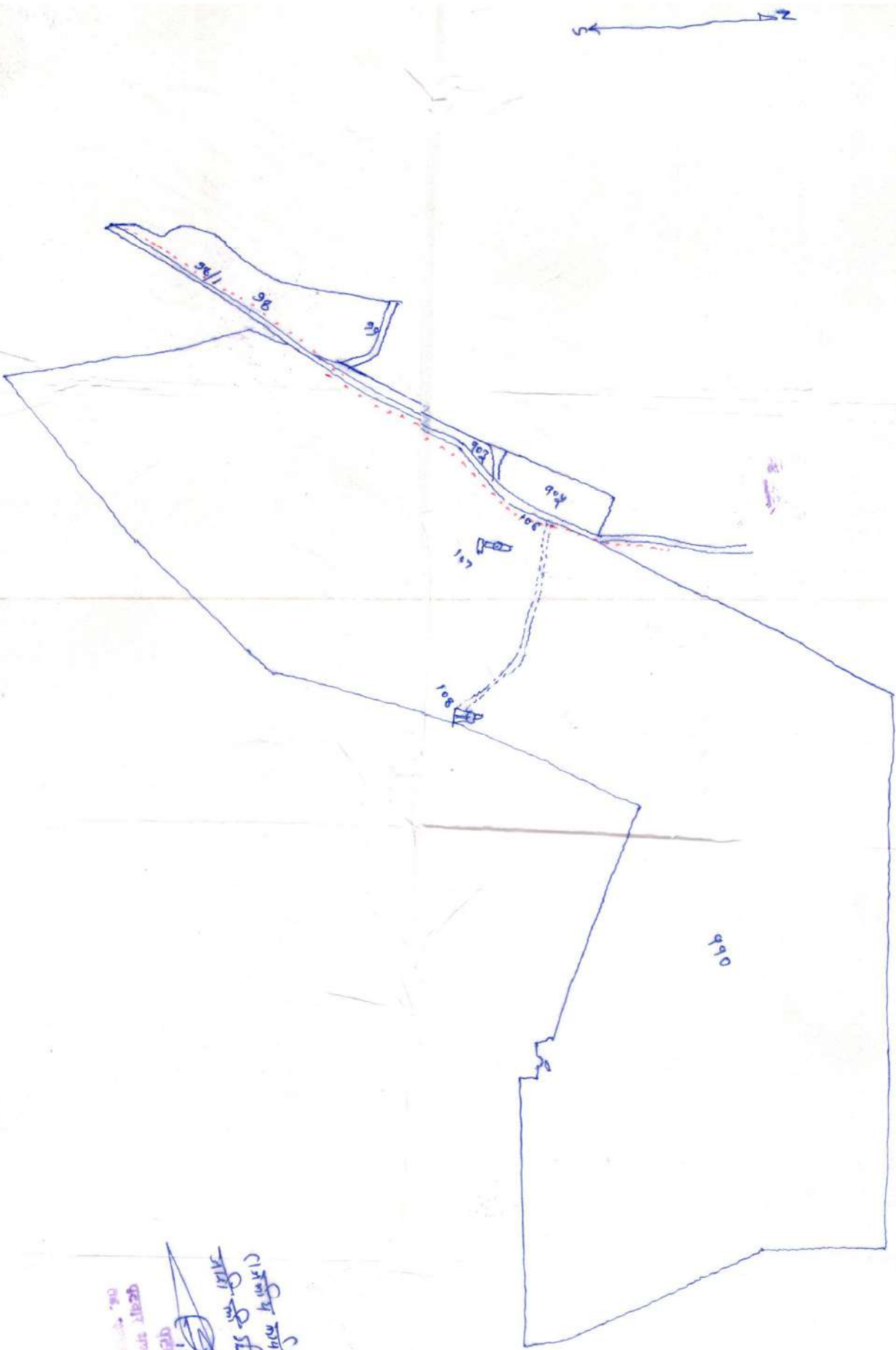


ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਮਾਲੀਆ
16/7/19

ਪਟਵਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੀਧਾ
ਪਟਵਾਰ ਮਹਲਾ
ਮੇਹਰੂਰ

नमस्कार
 नमस्कार
 नमस्कार



(संलग्न नमूने हेतु)
 नमस्कार नमस्कार
 नमस्कार नमस्कार
 नमस्कार नमस्कार

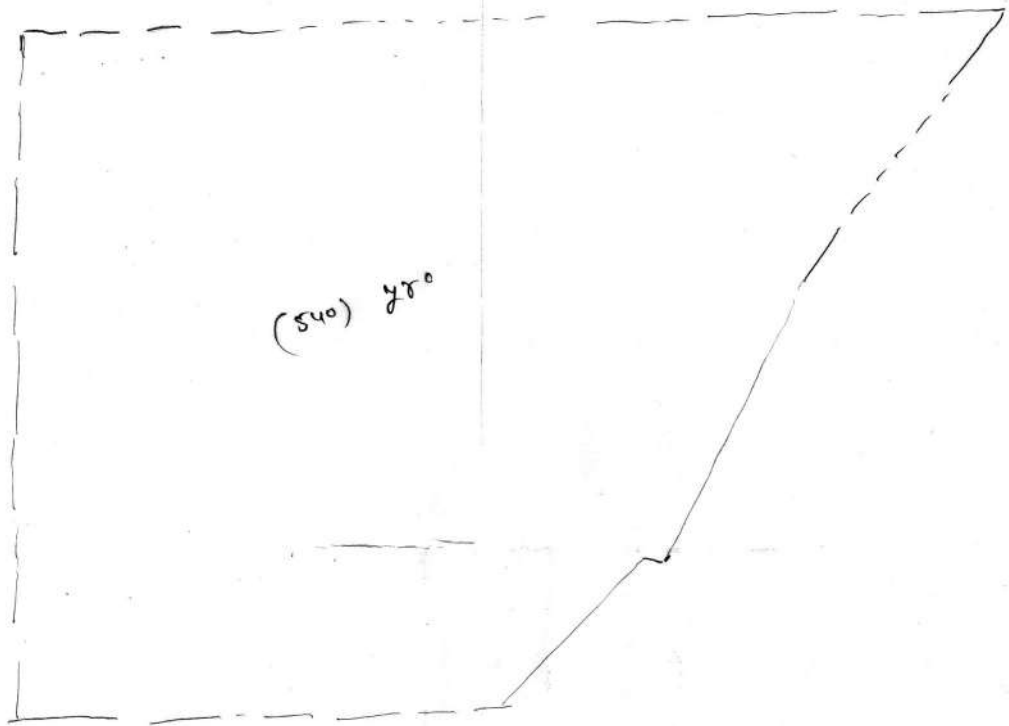
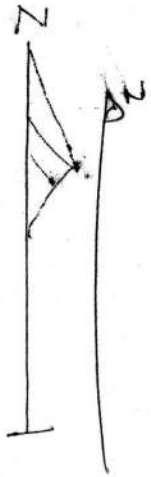
महाराष्ट्र राज्य शासन
नगरपालिका विकास विभाग

N
S



महाराष्ट्र राज्य शासन
नगरपालिका विकास विभाग
पत्राचार विभाग
पत्राचार विभाग
पत्राचार विभाग

नक्शा २५ - उत्तर - लोडिया तहसील - विजयनगर जिला
जिला - श्रीगंगानगर (राजस्थान)



Transit 2

abro

सत्य-उत्पत्ति

जोड-नक्शा २५ को राजगण्डेड
मि २५५८ मी २५

पट्टा १८६१९

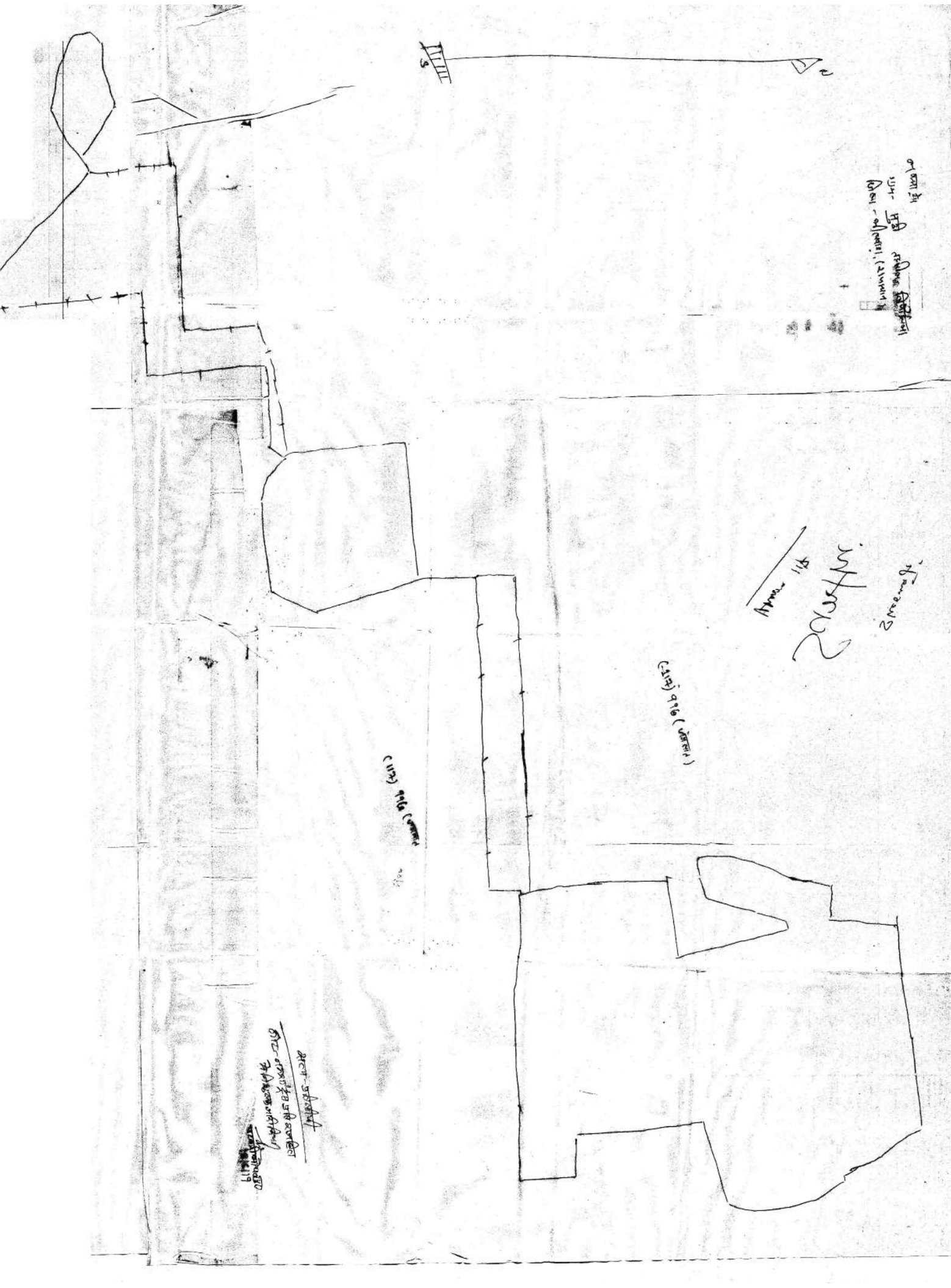
01/03/2014
11:41 AM
1001 - 01/03/2014 (11:41 AM)

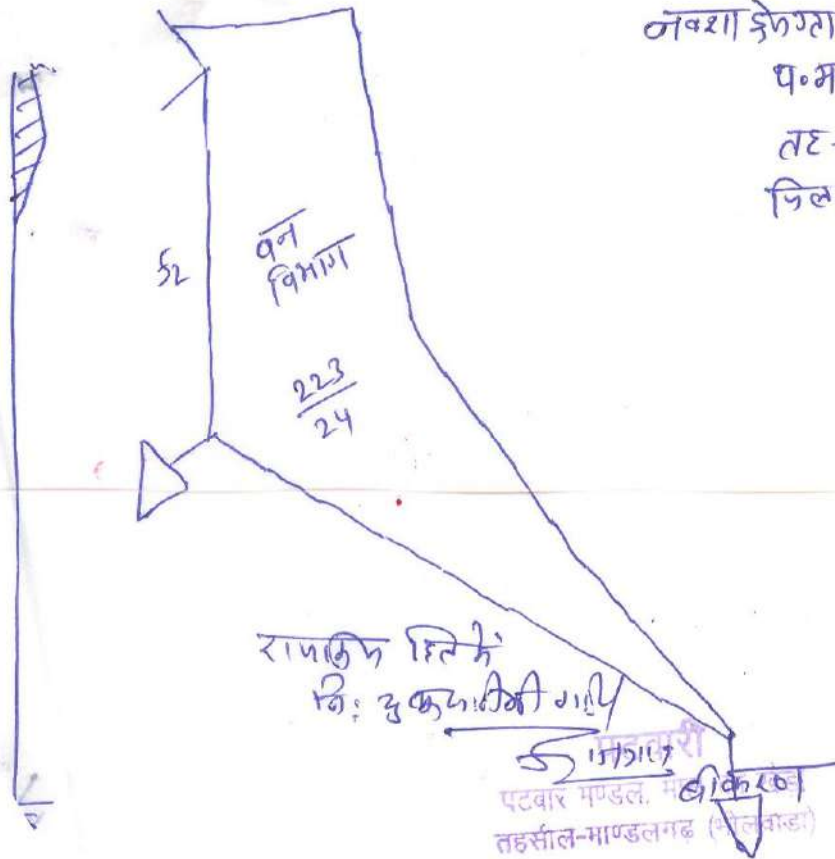
interior
Area 114
2 measurements

01/03/2014 (11:41 AM)

01/03/2014 (11:41 AM)

Area 114
01/03/2014 (11:41 AM)
01/03/2014 (11:41 AM)
01/03/2014 (11:41 AM)





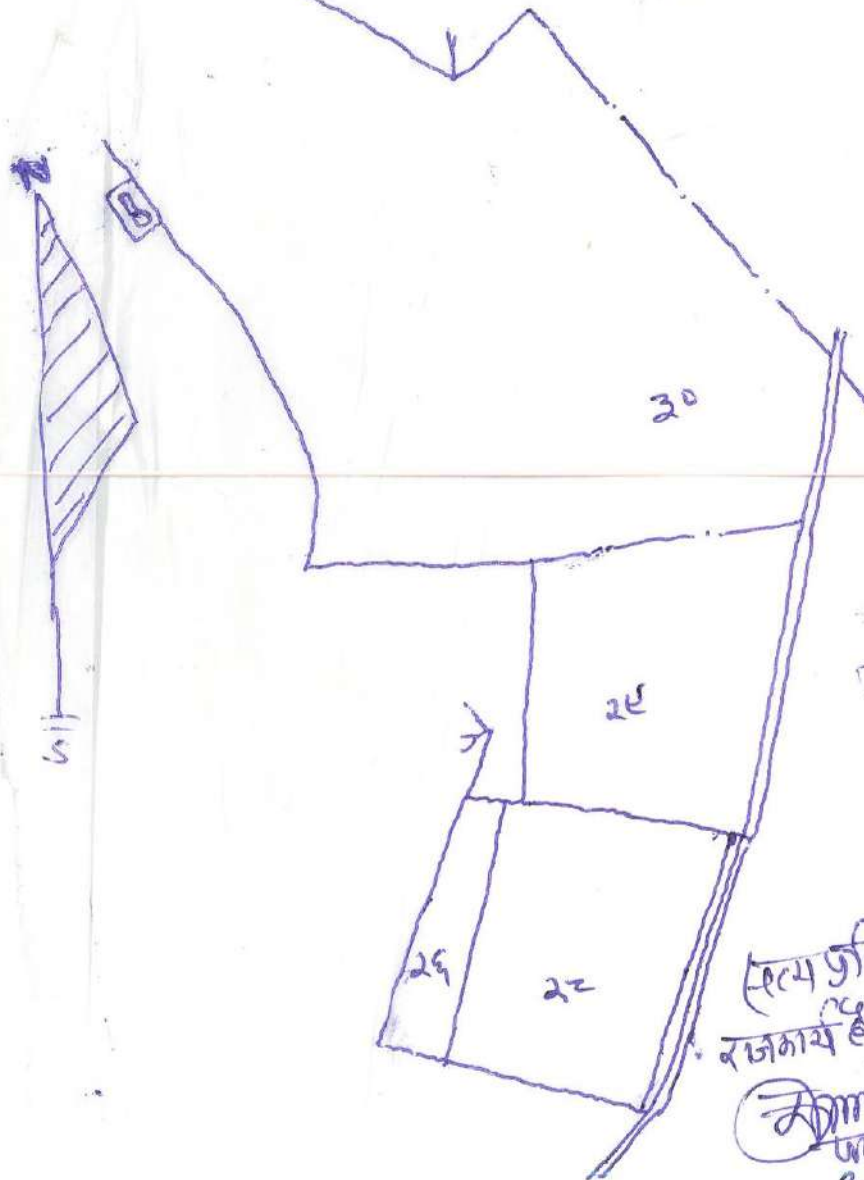
जवशा डेपुटा - तख्तजी भावे

प.म. - वीकरण

तह - मांडला

जिला - मालवाडी (म.)

નવઝાડેસ ગામ - શારોલી
" તહલીલ - વિજોલિયા



સિદ્ધાંત પ્રવિણી
રાજકાર્ય હેતુ જારી
(સાચી)
જાણકારી
કારોલી

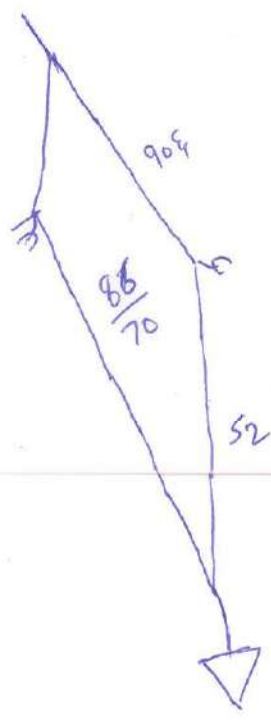
नक्शा क्रमांक १०००-माउलगाव
 पैसा १००० = २५ जरीब एकरीब = १३२५०



४५०
 ५५०

वाजकीप कार्यालय नि: शुल्क सार
 उत्तिष्ठि जरीबी २५/११/१९

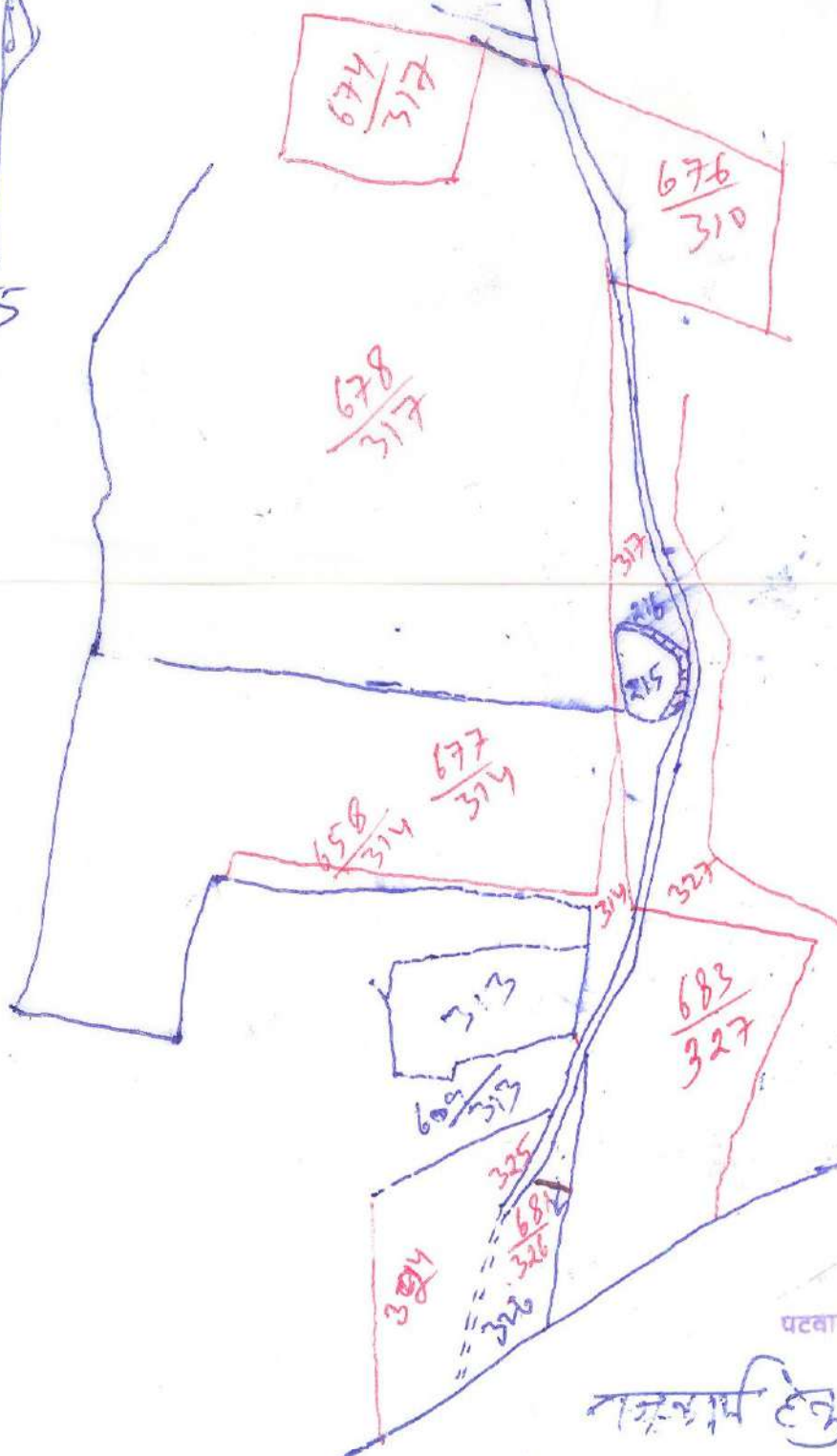
पटवारी
 पटवार माण्डल, माण्डलगाव
 वडशील-माण्डलगाव (मौलवाडा)



नक्शा ईज भा- दुदाजी काको
 फ.म. - ~~बोनारवा~~
 तह - माण्डलगाव
 जिला - भीलवाडा (राज)

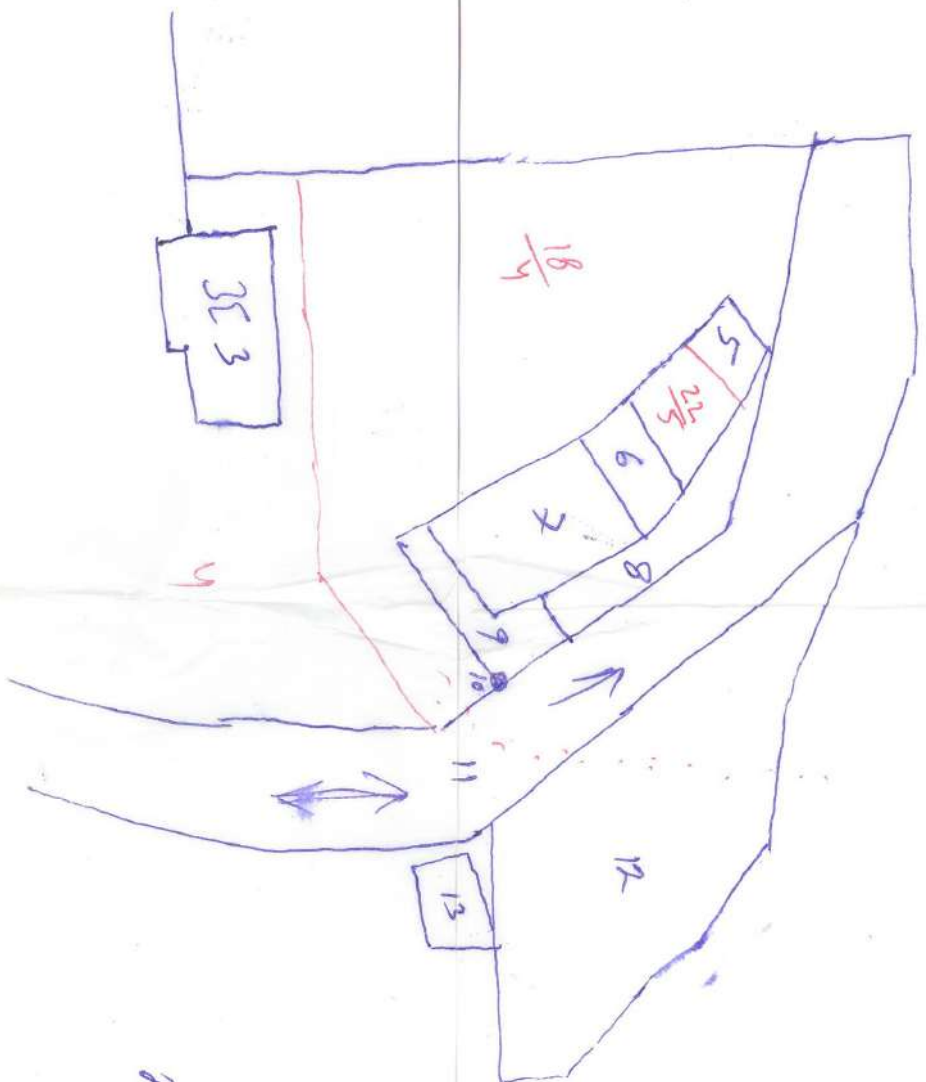
राजकीय हिस्से कि. दुदाजी काको
 पटवारी
 पटवार मण्डल, माण्डलगाव
 तहसील-माण्डलगाव (भीलवाडा)

5



पटवारी 16/7/2019
बाबू लाल मीणा
पटवार मण्डल, ...
मोहनपुरा
देवगरी किरा

3



2 min ~~for~~ with Spans

16/7/19

पदवासी
बालू लाल शर्मा
पदवार मोडल, ...
२६/०५/१९

આચાર્યશ્રી દ્વારા આપેલ ગ્રામીણ વસ્તી ગણતરીના આધારે
(મિલિયનમાં)

સ

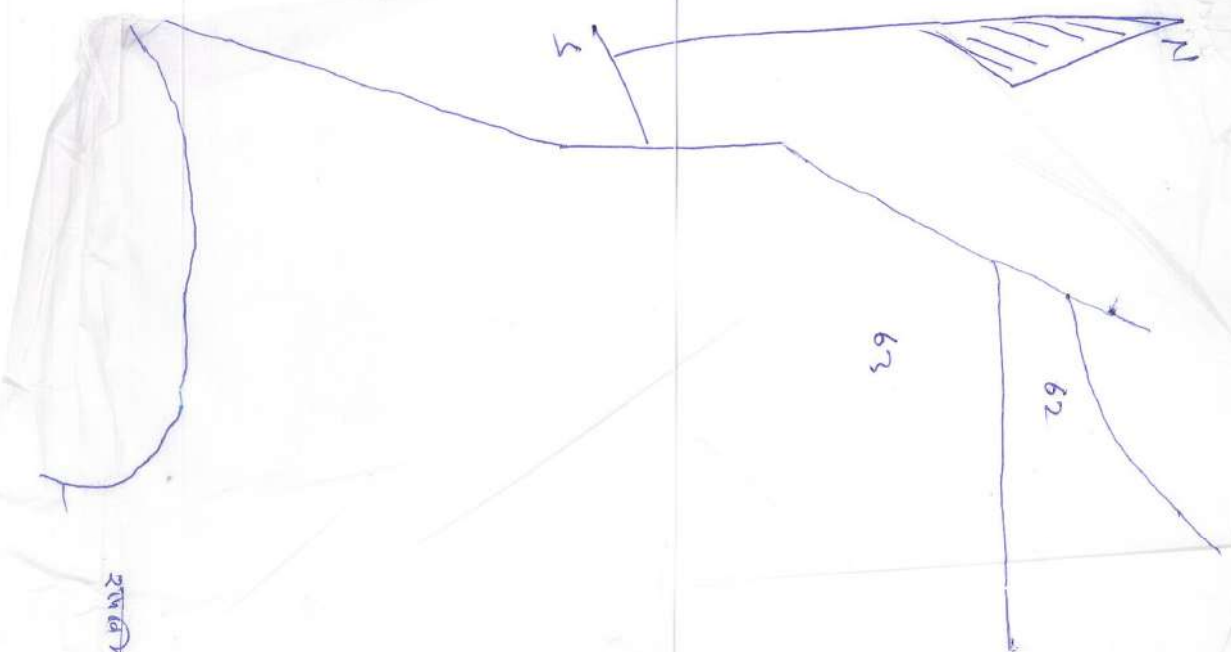
$$\frac{166}{149}$$

$$\frac{158}{149}$$

પાટણ
શ્રી રામ મંદીર
પાટણ મંદીર
જાહેર મંદીર
જાહેર મંદીર

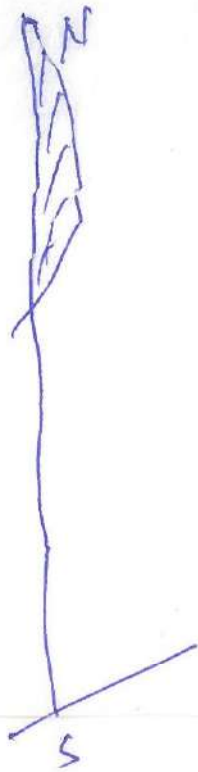
15/7/2019

ગામી વસ્તી

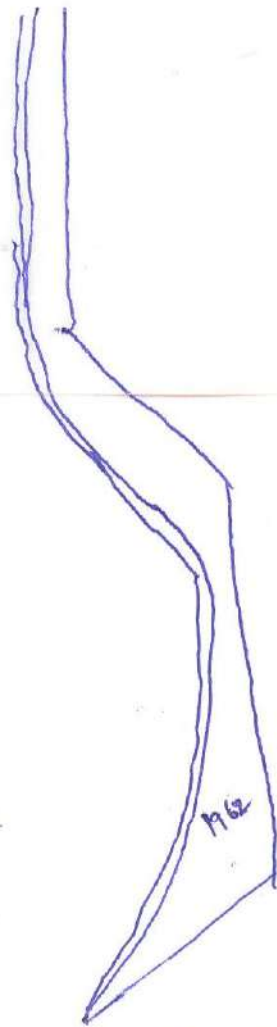


ગણિતશાસ્ત્ર - ગણિતશાસ્ત્ર
 ભૂગર્ભ - ભૂગર્ભ
 ભૂગર્ભ - ભૂગર્ભ
 ભૂગર્ભ - ભૂગર્ભ (સાથ)

રાજ્ય - રાજ્ય ની ગુણ ગણિતશાસ્ત્ર
 ગણિતશાસ્ત્ર
 ગણિતશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર
 ગણિતશાસ્ત્ર - ગણિતશાસ્ત્ર (સાથ)



नम्बरा डेलिग्राफ - इमेरिया
पञ्च - इमामपुरा
तहसील - माडमगाव
जिला - भीलवाडा जामनगर,



राजकीय चिह्न में निःशुल्क
 जारी की गयी

30/7/17
 पटवारी

पटवार मण्डल इमामपुरा
 तहसील माडमगाव (भीलवाडा)

नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

1804

श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः
 श्रीगणेशाय नमः

नम्मा ग्राम. बुढावन



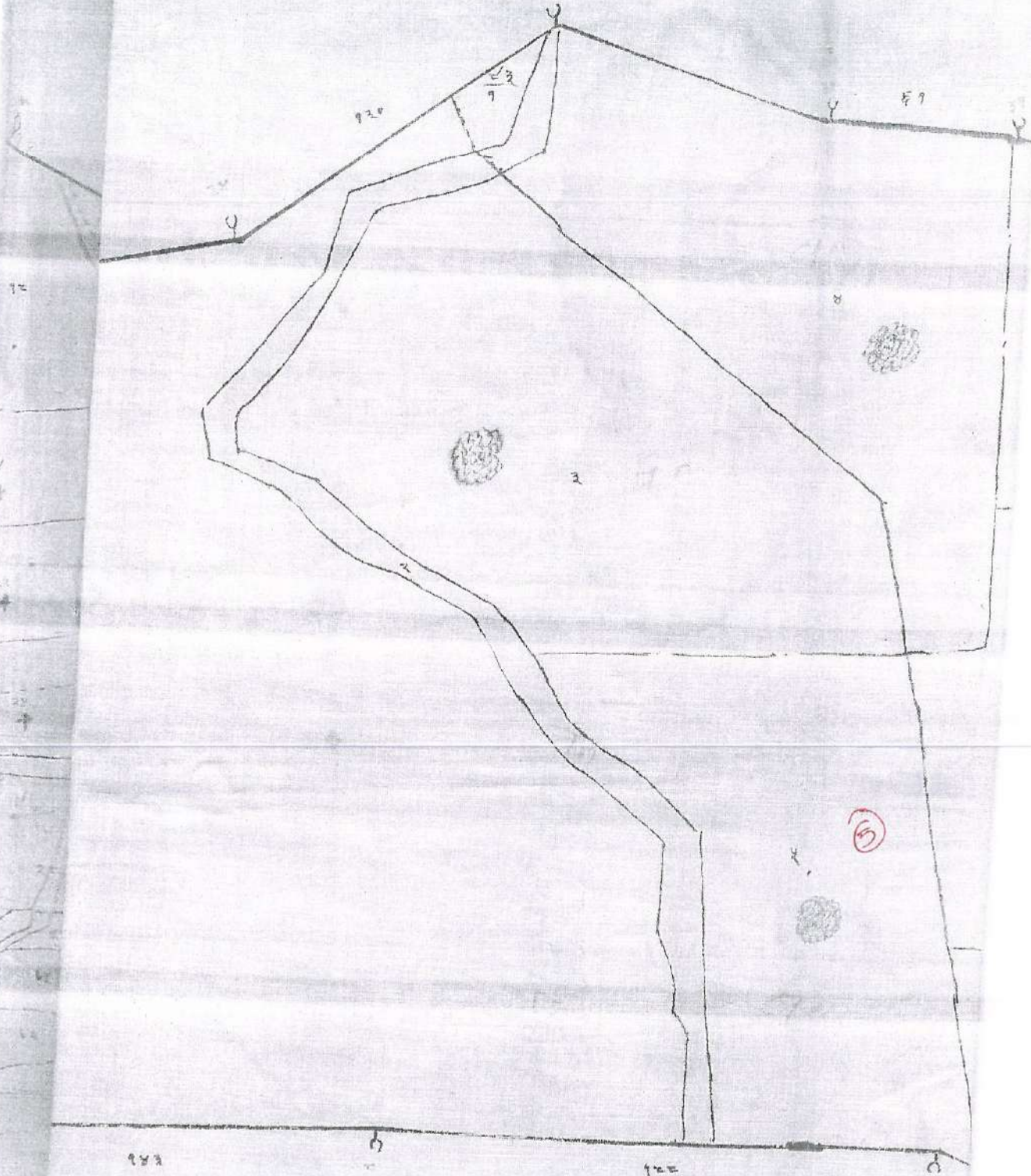
जवारी विभागेतर्फे
5.7.19

Chhatrapati

ग्राम पुद्गाव

सो. ग्राम हत्ती खेड

सो. जस्थान



अन्वयितनामा

सो. हत्ती	▲	▲
मुदायनामा	१	१
समस्तमुदाय	—	—
सामन्ता	—	—
गोपी जाका	—	—

सो. ग्राम कनेर

पण्डी विमोद
5.7.19

Phoolan
(पुलन)

सुभाषचंद्र बोस
२७/१२

10/12

10

2014-2015

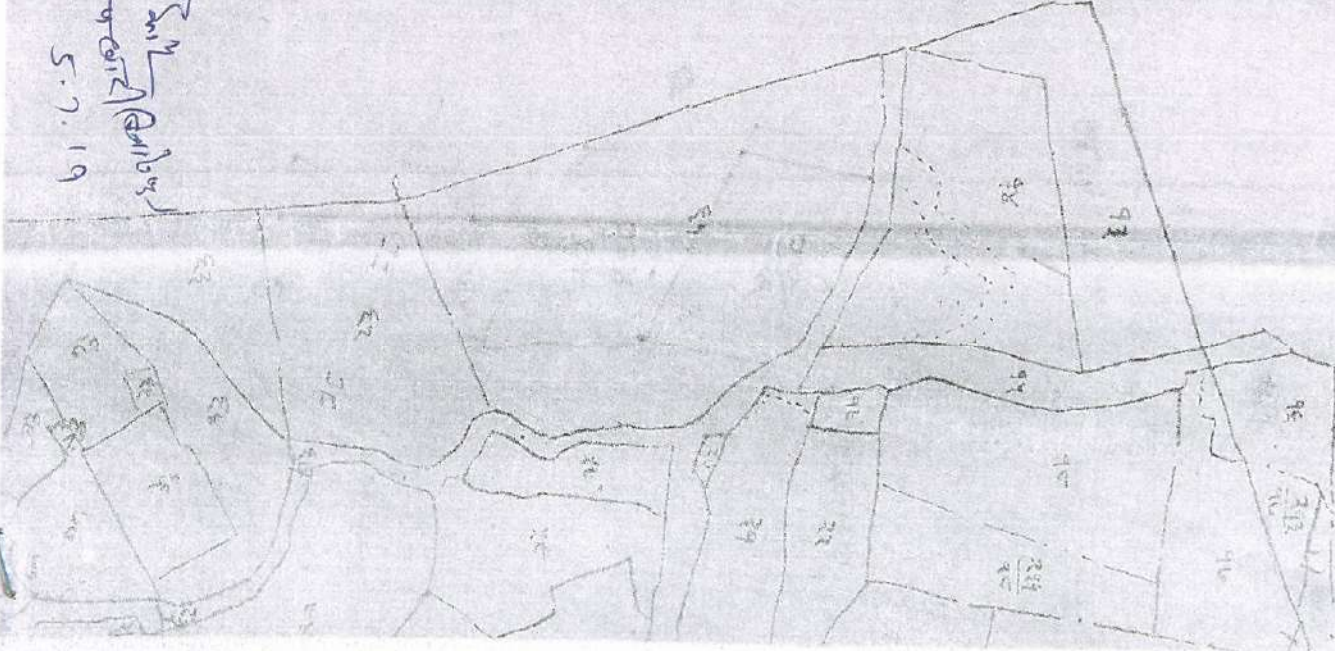
۲۱۴۱۶ . ۲۱۴۱۵

$\frac{270}{90}$

$\frac{190}{10}$

70

۵۰۷
۵۰۷۱۲۱
۵.۷.۱۹



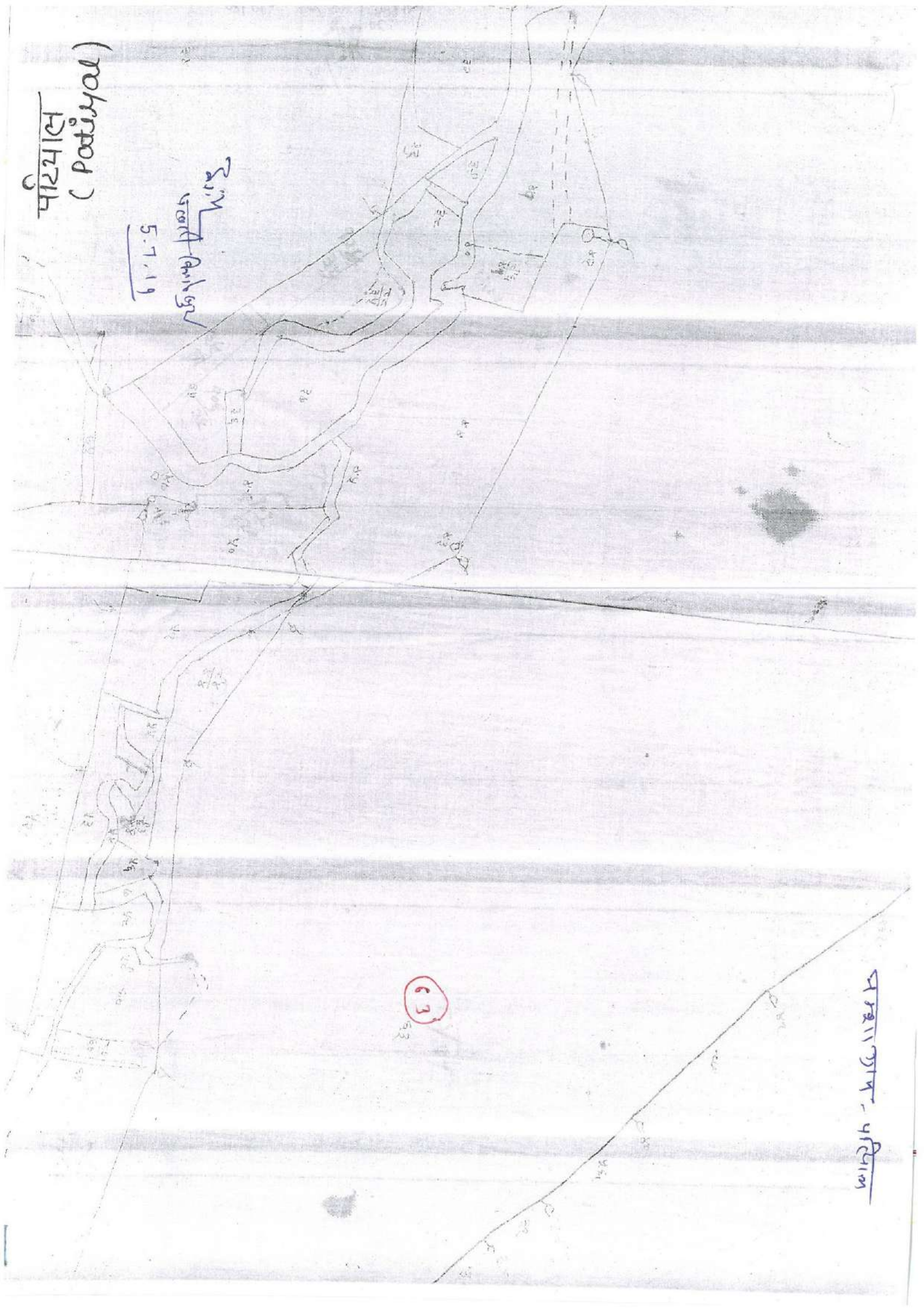
3

مجموعه - افراس

مجموعه - افراس
5.7.19

पटियाल
(Potiyal)

सर्वे
5.7.19



सर्वेक्षण - पटियाल

← उत्तर
नील



29.5

सि. गि. म. र. म.

सि. गि. म. र. म.
म. गि. म. र. म.
5.1.19

2014-2015

$$\frac{176}{9}$$

$$\frac{177}{10}$$

$$\frac{966}{90}$$

$$\frac{177}{10}$$

5.7.19
@mawg4

211-101

9108

171

9108

9108

7

176

9108

9108

9108

9108

9108

211-101
@india

5.7.19

Practical
(Biomolecules)

सिद्धा	५
सुरासम	५
सामरस्युमादा	५
नदी नाल	५
साह जगदी	५
साहोयजग	५
जगदी	५
शिवमचारी	५
दीपस्थान	५
पहाड	५

अभिलेख
अभिलेख

651005 ✓
2412
near
5.7.19

मंगल
(Mangal)

महाराष्ट्र - पुणे

सी. गा. थड

(17)

स. म.
महाराष्ट्र विधानसभा

5.7.19

1 35 35 22 22 22 22 22 22
4 4 4 4 4 4 4 4 4

लक्ष्मी देवी मिया

महाराष्ट्र विधानसभा

महाराष्ट्र विधानसभा

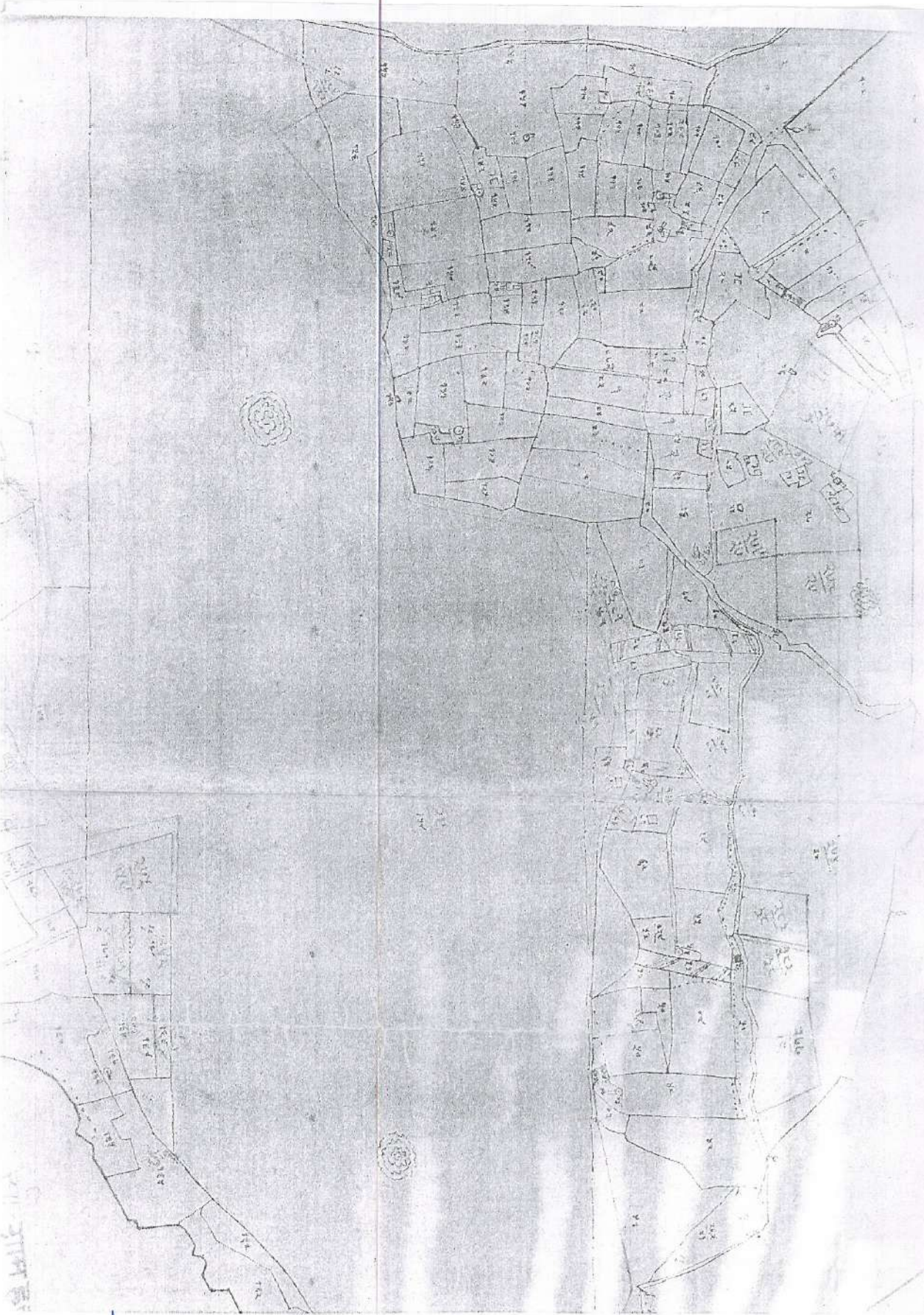
महाराष्ट्र विधानसभा

12.9.12

உருவம் எழுந்த
உருவம் எழுந்த

212

गोमतीगंगा नदी
१८/०१/१८



सहायक मजदूर

10/8/18

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार

village wise area calculation sheet

Name of Project:- Balance work of cluster scheme of 315 villages of Mandalgarh, Bijoliya and Jahajpur tehsils alongwith augmetation of UWSS of Mandalgarh and Bijliya Town from Aroli Headworks under Chambal Bhilwara water supply project phase-2, package-8 of Bhilwara

Proposal No. FP/RJ/Water/36565/2018

S. No.	segment	village name	village panchayat	length (metres)	width	area (Hect)	remarks
1	1	chandpura	rajgarh	783.52	0.6	0.0470	
2	2	ummedpura	rajgarh	136.3	0.6	0.0082	
3	5	duda ji ka khera	beekaran	256.48	0.6	0.0154	
4		takhatji ka khera	beekaran	800	0.6	0.0480	
5	6	kham ka khera	beekaran	1914.23	0.6	0.1149	
6	7	shyampura	shyampura	697.2	0.6	0.0418	
7	8	hameeriya	shyampura	860	0.6	0.0516	
8	9	banka	bhopatpura	2743.22	0.6	0.1646	
	10	banka	bhopatpura	983.5	0.6	0.0590	
9		lorda	bhopatpura	2000	0.6	0.1200	
10	11	sunthi	bhopatpura	2684.15	0.6	0.1610	
11	12	teekhi	bijoliya khurd	5438.09	0.6	0.3263	
12		ramrada	thadoda	1399	0.6	0.0839	
13	13	phoolan	bijoliya khurd	435	0.6	0.0261	
14		mangarh	bijoliya khurd	1848.51	0.6	0.1109	
15	14	mangarh	bijoliya khurd	242	0.6	0.0145	
16		patiyal	bijoliya khurd	1133.68	0.6	0.0680	
17		chhatrikhera khurd	bijoliya khurd	173	0.6	0.0104	
18		brindavan	bijoliya khurd	115	0.6	0.0069	
19	15	brindavan	bijoliya khurd	954	0.6	0.0572	
20		kaner	subhpura	590	0.6	0.0354	
21	16	karlao	aroli	1009.17	0.6	0.0606	
22		bhopalgarh	shyampura	200	0.6	0.0120	
23	17	fatehpura	mohanpura	1295.37	0.6	0.0777	
24	18	anando ka khera	mohanpura	1081.67	0.6	0.0649	
25	19	mohanpura	mohanpura	1214.06	0.6	0.0728	
26	20	neem ka khera	mohanpura	698.87	0.6	0.0419	
27	21	bharji ka khera	mandalgarh	827.95	0.6	0.0497	
28	22	kekariya	sarana	1597.72	0.6	0.0959	
TOTAL				34111.69		2.0467	

Segment 3: Kacchola forest avoided due to change in alignment of pipeline.

segment 4: Avoided.

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोपतपुर
ग्राम :- लोहडा
दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र भोपतपुर के खसरा संख्या 540

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव भोपतपुर में सरपंच रजनीव नारायण की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के लोहडा गांव में 0.0104 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् निर्माण से कार्य तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के लोहडा गांव में 0.0104 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15.8.19 के प्रचार स.
(18) में अनुमोदन किया गया


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भोपतपुर
ज. स. विज्ञापित


सरपंच
ग्राम पंचायत भोपतपुर
को सा. विज्ञापित

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 ग्राम :- लोका
 दिनांक :- 15/08/2013

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र के खसरा संख्या 529

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव लोका भोपतपुरा में सरपंच राजेश जी बंधारा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के लोका गांव में 0.3436 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लोका इन्च से लागाय से लाइवा व तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। (लोका निवा) से शकरगाढ
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के लोका गांव में 0.3436 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा/ दिनांक 15.8.13 देखाता स
 (16) से अनुमोदित/संगत


 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 प. च. विजौलिया


 ग्राम पंचायत भोपतपुरा
 प. च. विजौलिया

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम जफा पटवार क्षेत्र को। पुरपुर, मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र (खे. ज. अ. भू. तहसील) खे. ज. अ. भू. तहसील जिला ज. प. व. र. राजस्थान सम्वत् 2079 से 2080 तक

[illegible]

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भोपालपुरा
 ग्राम :- भुंकी
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र भोपालपुरा के खसरा संख्या 117

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव भुंकी जोधपुरा में सरपंच राजीव शर्मा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के भुंकी गांव में 0-1610 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् महोदय उद्योग भुंकी गांव तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के भुंकी गांव में 0-1610 H हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत भोपालपुरा
 व. स. विजौलिया


 सरपंच
 ग्राम पंचायत भोपालपुरा
 प. स. विजौलिया

दिनांक 15.08.19 से ग्राह सभा के
 प्रभाव स्वरूप (10) में अनुमोदित किया
 गया

जमाबंदी (खतौनी) ग्राम २ मुह
पटवार क्षेत्र 'अ' - अमलेख निरीक्षक क्षेत्र तहसील जिला राजस्थान सम्वत् २०८३ से २०८६ तक

[illegible]

उत्तराखण्ड-सभा दिनांक 15/8/19

बतौर दिनांक 15/8/19 को आम पंचायत भोपालपुरा
के पंचायत सत्र पर प्रातः 10.00 बजे श्रीमान उपखण्ड
कार्यकारी विजोलिंग जिला श्रीलखांड के कोष प्रभु
लगाय 2019/1493-1520 दिनांक 14-08 के अनुमान
खाख एवं जागरण का पूर्ण विचार राजस्थान सरकार (जयपुर
के कोष प्रभु) स्मृ 13(1) खा. वि. (कावटन) खा. 3/2017
दिनांक 7/08/19 की अनुपालना में राष्ट्रीय खाख पुरखा
कार्यनिर्माण 2013 की धारा 28 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाख
सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेही रीति में क्रियान्वयन
एवं लक्षित लक्ष्यजनित वितरण प्रणाली के आखिलेश्वर के
प्रकीर्णन में पारदर्शिता संचारित क्रियान्वयन हेतु दिनांक
15/8/19 को आम निष्ठा आयोजित क. वि. वि. (सामाजिक
सेवा) (6 मई अन्तर्गत) से जून 2019) किया जा रहा
जिसमें आम पंचायत सत्र में संचालित उचित प्रत्येकी
दुकां एवं सहकारी समिती जिनके द्वारा खाख पुरखा
योजना में गेहू वितरण क्रियान्वयन रहे हैं उन लाभार्थियों
की सूची को आम निष्ठा में पढ़ा क्रियान्वयन जाक
अनुमोदन करवाया जाना है

कतः बतौर उपखण्ड। जिस में विचारणा अ नोड
इत्यादि कार्यकारी निष्ठा किया जा रहा है श्रीमान
डा. कुमार लालरेगा। वरिष्ठ पुरु विचिंतन कार्यकारी
व कल्याण श्रीमान सरपंच श्री. रणजीत कुमार द्वारा की
गई तथा आम सभा आयोजित किया जा

अनुमान (1) वर्षिक गण ठंडक की वसुधामा
का पढ़ा पाठ किया गया जिसका सत्री में सवि
सम्पत्ति ले अनुमोदन किया गया

अनुमान (2) उत्तराखण्ड के चारगाह में नवी
निर्माण के प्रभाव के संबंध में
उत्तराखण्ड के पारित किया गया

महेश
उत्तराखण्ड विकास आयोग

पुनः
2019

आयोजित किया
21/8/19
नौपल
7/35/02
दिनांक
15-08-19
उत्तराखण्ड कार्यकारी

प्रस्ताव सं. (16) कापलिंग अचिवाकी अचिपला, जन स्वास्थप
अचिपलिकी विभाग परियोजना स्वयं माण्डलक
जिला कलकत्ता से प्राप्त भोक्ता छे कृपाक १-अअ
परि०/१७७/मा००/१९-२०/३६२-३६५ दिनांक १८.०७.२०१७
की अनुपालना में आज दिनांक १५.०८.२०१७ को ग्राम
सभा में प्रस्ताव लिया गया तथा चम्बल नदीलवण
परियोजना के फेज-२ के पैरे-४ के अन्तर्गत वनभूमि
में पहिलवाही विधान हेतु प्रस्तावित है जो कि उक्त
ग्राम में राजाव साम लोडगा में गैर उद्देश्य के लिए
उपयोग ली जाती है। एवं पत्ता हला कोपलपुरा
कि रिपोर्ट के अनुसार स्वयं सू ५५० की कुल भूमि
०.०१०५ हेक्टर वनभूमि क्षेत्र है। व लवण बाक में गैर
गैर उद्देश्य के लिए उपयोग ली जाती है जो कि
पत्ता हला कोपलपुरा की रिपोर्ट के अनुसार स्वयं सू ५२९
की कुल भूमि ०.३५३६ हेक्टर वनभूमि क्षेत्र इसी प्रकार
ग्राम सू ६१ में गैर उद्देश्य के लिए उपयोग ली जाती है।
जो कि पत्ता हला कोपलपुरा की रिपोर्ट के अनुसार
स्वयं सू ११७ की कुल भूमि ०.१६१० हेक्टर वनभूमि क्षेत्र है।
उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय
लेकर पारित किया जाता है एवं अनुमोदन किया जाता है।

(Signature)

समय

प्रस्ताव सं. (17) ग्राम लोडगा में ली ली रोड मरुतानी
निर्माण के प्रस्ताव के माध्यम से समस्त
रस्ता गांधी व सर्वसम्मति से पारित किया
गया।

प्रस्ताव सं. (18) ग्राम लोडगा में स्कूल के चारदीवारी के
प्रस्ताव के माध्यम से समस्त रस्ता गांधी व
सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अचिवाकी

राज

मीरु

अचिवा

प/५

कि गोपाल अचिवाकी

(Signature)

(Signature)

रमेश

अंगीत

युज

सिधवा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- वृन्दावन
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना गृत प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या 05, 06, 09, 10

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गामजी देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के वृन्दावन गांव में 0.0641 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाही अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया खुर्द से काटे तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के वृन्दावन गांव में 0.0641 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

गामजी देवी
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 प्रस्ताव संख्या 02 में संशोधित

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- वृन्दावन
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियां कलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 16
खाता संख्या पुराना :- 16

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	409.1700	गेमु.जंगल	409.1700		
2	11.1700	गेमु.जंगल	11.1700		
3	53.1900	गेमु.जंगल	53.1900		
4	44.1500	गेमु.जंगल	44.1500		
✓ 5	40.0000	गेमु.जंगल	40.0000	✓	
✓ 6	141.0500	गेमु.जंगल	141.0500	✓	
7	55.0400	गेमु.जंगल	55.0400		
8	46.0900	गेमु.जंगल	46.0900		
✓ 9	49.1800	गेमु.जंगल	49.1800	✓	
✓ 10	27.0400	गेमु.जंगल	27.0400	✓	
11	5.0500	गेमु.भटवेड़	5.0500		
13	11.1200	गेमु.भटवेड़	11.1200		
15	5.0200	गेमु.आबादी	5.0200		
16	3.0400	गेर मुसकिन	3.0400	0.0000	
17	2.1000	गेमु.जंगल	2.1000		
27	13.1200	गेमु.भटवेड़	13.1200		
28	2.1100	गेमु.नाला	2.1100		
29	1.0100	गेमु.भटवेड़	1.0100		
30	0.0500	गेमु.भटवेड़	0.0500		
43	4.0300	गेमु.नाला	4.0300		
45	16.0500	गेमु.जंगल	16.0500		
46	12.1600	गेमु.जंगल	12.1600		
73	0.1000	गेमु.नाला	0.1000		
77	7.0500	गेमु.जंगल	7.0500		
78	2.1600	गेमु.जंगल	2.1600		
92	1.1500	गेमु.भटवेड़	1.1500		
93/1	1.0000	गेमु.जंगल	1.0000		
कुल खसरे - 27 972-00			972-00	0.00	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



5.7.19

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- वृन्दावन
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू. अभि. नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियांकलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 16
खाता संख्या पुराना :- 16

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	409.1700	गेमु. जंगल	409.1700			
2	11.1700	गेमु. जंगल	11.1700			
3	53.1900	गेमु. जंगल	53.1900			
4	44.1500	गेमु. जंगल	44.1500			
5	40.0000	गेमु. जंगल	40.0000			
6	141.0500	गेमु. जंगल	141.0500			
7	55.0400	गेमु. जंगल	55.0400			
8	46.0900	गेमु. जंगल	46.0900			
9	49.1800	गेमु. जंगल	49.1800			
10	27.0400	गेमु. जंगल	27.0400			
11	5.0500	गेमु. भटवेड़	5.0500			
13	11.1200	गेमु. भटवेड़	11.1200			
15	5.0200	गेमु. आबादी	5.0200			
16	3.0400	गेर मुमकिन	3.0400	0.0000		
17	2.1000	गेमु. जंगल	2.1000			
27	13.1200	गेमु. भटवेड़	13.1200			
28	2.1100	गेमु. नाला	2.1100			
29	1.0100	गेमु. भटवेड़	1.0100			
30	0.0500	गेमु. भटवेड़	0.0500			
43	4.0300	गेमु. नाला	4.0300			
45	16.0500	गेमु. जंगल	16.0500			
46	12.1600	गेमु. जंगल	12.1600			
73	0.1000	गेमु. नाला	0.1000			
77	7.0500	गेमु. जंगल	7.0500			
78	2.1600	गेमु. जंगल	2.1600			
92	1.1500	गेमु. भटवेड़	1.1500			
93/1	1.0000	गेमु. जंगल	1.0000			
कुल खसरे - 27 972-00			972-00	0.00		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



5.7.19

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- मानगाह
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या 10, 190/10

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गोपती देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के मानगाह गांव में 0-1254 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया खुर्द का 2 व पटवार तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। से 10/8/19
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के मानगाह गांव में 0-1254 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया


 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 अं उल्लाव संख्या (02) में अज्ञात

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मानगढ

पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द

भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द

तहसील :- बिजोलियांकलां

जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा

खाता संख्या नया :- 81

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग राजस्थान सरकार ब्लाक मगर देह

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	810.0300	जंगलात	810.0300	0.0000		
2	564.1900	जंगलात	564.1900	0.0000		
3	416.0500	जंगलात	416.0500	0.0000		
4	153.1400	जंगलात	153.1400	0.0000		
5	313.0000	जंगलात	313.0000	0.0000		
6	243.1500	जंगलात	243.1500	0.0000		
7	109.0900	जंगलात	109.0900	0.0000		
8	237.0500	जंगलात	237.0500	0.0000		
9	61.0900	जंगलात	61.0900	0.0000		
11	225.0000	जंगलात	225.0000	0.0000		
16	2.0100	जंगलात	2.0100	0.0000		
189/12	106.1000	जंगलात	106.1000	0.0000		
190/10	106.1000	जंगलात	106.1000	0.0000		
208/180	0.0300	जंगलात	0.0300	0.0000		
213/17	1.1400	जंगलात	1.1400	0.0000		
कुल खसरे - 15	3351-17		3351-17	0.00		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019

NIC

5.7.19

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मानगढ
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियां कलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 80
खाता संख्या पुराना :- 77

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग राजस्थान सरकार ब्लाक ग्राम तीखी

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
10	711.1500	जंगलात	711.1500	0.0000		
12	255.0100	जंगलात	255.0100	0.0000		
13	9.1200	जंगलात	9.1200	0.0000		
157	131.0500	जंगलात	131.0500	0.0000		
184	687.0700	जंगलात	687.0700	0.0000		
185	166.0000	जंगलात	166.0000	0.0000		
191/5	62.0500	जंगलात	62.0500	0.0000		
कुल खसरे - 7	2023-05	2023-05	0.00			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



5.7.19
पटवारी बिजोलियांखुर्द

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- पटियाल
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया के खसरा संख्या 63

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गायत्री देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के पटियाल गांव में 0.0680 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् से तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के पटियाल गांव में 0.0680 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

गायत्री
 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 उल्लाल सेन्पा (02) में सहभागी

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- पटियाल
पटवार हल्का :- बिजोलियाखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियांकलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 43
खाता संख्या पुराना :- 45

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग ब्लाक तीखी

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	422.0500	गेमु.जंगल	422.0500	0.0000		
2	22.0100	गेमु.जंगल	22.0100	0.0000		
3	271.1000	गेमु.जंगल	271.1000	0.0000		
4	82.0700	गेमु.नदी	82.0700	0.0000		
5	1731.0000	गेमु.जंगल	1731.0000	0.0000		
10	8.0900	गेमु.नदी	8.0900	0.0000		
14	3.0300	गेमु.नदी	3.0300	0.0000		
19	0.0100	गेमु.डोरी	0.0100	0.0000		
23	1.1000	गेमु.नदी	1.1000	0.0000		
25	0.1000	गेमु.नाला	0.1000	0.0000		
26	0.1700	बारानी IV	0.1700	0.2550		
29	0.1300	गेमु.भटवेड़	0.1300	0.0000		
30	0.1900	गेमु.नाला	0.1900	0.0000		
34	111.1500	गेमु.जंगल	111.1500	0.0000		
36	2.0900	गेमु.नाला	2.0900	0.0000		
38	0.0500	गेमु.नाला	0.0500	0.0000		
40	8.1800	गेमु.नाला	8.1800	0.0000		
45	2.1500	गेमु.नाला	2.1500	0.0000		
47	0.0100	गेमु.स्थान	0.0100	0.0000		
48	0.0100	गेमु.स्थान	0.0100	0.0000		
49	5.1200	बारानी IV	5.1200	1.6800		
52	31.0200	गेमु.जंगल	31.0200	0.0000		
54	1.1200	गेमु.नाला	1.1200	0.0000		
57	1.1000	गेमु.नाला	1.1000	0.0000		
59	0.1500	गेमु.नाला	0.1500	0.0000		
63	927.0500	गेमु.जंगल	927.0500	0.0000		
64	87.1000	गेमु.जंगल	87.1000	0.0000		
65	0.1500	गेमु.नाला	0.1500	0.0000		
68	8.1800	गेमु.भटवेड़	8.1800	0.0000		
69	3.1500	गेमु.भटवेड़	3.1500	0.0000		
71	2.0900	गेमु.नाला	2.0900	0.0000		
74	0.0500	गेमु.नाला	0.0500	0.0000		
76	0.0200	गेमु.नाला	0.0200	0.0000		
84	0.0400	गेमु.नाला	0.0400	0.0000		
85	0.1000	गेमु.भटवेड़	0.1000	0.0000		

लगातार 5 रु.



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- पटियाल
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियांकलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 43
खाता संख्या पुराना :- 45

86	81.0800	गेमु.जंगल	81.0800	0.0000
87/60	1.0100	गेमु.भटवेड़	1.0100	0.0000
89/5	169.0600	गेमु.जंगल	169.0600	0.0000
90/4	26.0500	गेमु.जंगल	26.0500	0.0000
91/63	218.1500	गेमु.जंगल	218.1500	0.0000
92/5	292.0000	गेमु.जंगल	292.0000	0.0000
97/66	1.0000	पेटा तालाब	1.0000	1.2000
99/5	33.1400	बंजड़	33.1400	10.1100
100/34	5.0000	बंजड़	5.0000	1.5000

कुल खसरे - 44 4572-02 4572-02 14.75

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019

NIC

राम
पटवार बिजोलियां
5-7-19

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- तिरती
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या 06, 07, 174/6, 176/9, 177/10

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गांधी देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के तिरती गांव में 0.3263 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया से घाणसी तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के तिरती गांव में 0.3263 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh

सरपंच

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 तिरती भीलवाडा

गांधी देवी
सरपंच

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 प्रस्ताव संख्या ② में प्रकट
 मोदित ।



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तिखी
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियां कलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 98
खाता संख्या पुराना :- 97

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	89.0300	गेमु.जंगल	89.0300			
2	120.0000	गेमु.जंगल	120.0000			
3	156.0500	गेमु.जंगल	156.0500			
4	70.1500	गेमु.जंगल	70.1500			
5	50.1000	गेमु.जंगल	50.1000			
6	234.1000	गेमु.जंगल	234.1000			
7	144.0400	गेमु.जंगल	144.0400			
8	185.1600	गेमु.जंगल	185.1600			
9	160.1500	गेमु.जंगल	160.1500			
10	89.1000	गेमु.जंगल	89.1000			
11	131.0500	गेमु.जंगल	131.0500			
12	107.0000	गेमु.जंगल	107.0000			
13	150.1000	गेमु.जंगल	150.1000			
14	24.1500	गेमु.जंगल	24.1500			
15	66.0600	गेमु.जंगल	66.0600			
16	8.1000	गेमु.जंगल	8.1000			
17	5.0000	गेमु.जंगल	5.0000			
18	5.1300	गेमु.जंगल	5.1300			
19	5.0000	गेमु.जंगल	5.0000			
20	0.1300	गेमु.जंगल	0.1300			
154	185.1300	गेमु.जंगल	185.1300			
172/5	52.1200	गेमु.जंगल	52.1200			
173/50	14.1800	गेमु.जंगल	14.1800			
174/6	4.1500	गेमु.जंगल	4.1500			
175/7	12.1000	गेमु.जंगल	12.1000			
176/9	58.0000	गेमु.जंगल	58.0000			
177/10	99.1000	गेमु.जंगल	99.1000			
179/14	150.0500	गेमु.जंगल	150.0500			
180/15	18.0000	गेमु.जंगल	18.0000			
181/15	2.0800	गेमु.जंगल	2.0800			
182/16	4.1000	गेमु.जंगल	4.1000			
183/16	18.1500	गेमु.जंगल	18.1500			
184/17	0.0300	गेमु.जंगल	0.0300			
185/18	0.1200	गेमु.जंगल	0.1200			
186/19	0.1000	गेमु.जंगल	0.1000			

लगातार ही 2/2

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- तिखी

सम्बत :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द

क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा

तहसील :- बिजोलियांकलां

खाता संख्या नया :- 98

जिला :- भीलवाड़ा

खाता संख्या पुराना :- 97

187/20 5.1000 गेमु.जंगल 5.1000

188/22 0.0500 गेमु.जंगल 0.0500

189/23 3.1200 गेमु.जंगल 3.1200

कुल खसरे - 38 2438-08 2438-08

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



राज. सरकार
चतुर्थी अगस्त

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- दहरी खेडा
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड, माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या 50, 51

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच शांति देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के दहरी खेडा गांव में 0.0104 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया से कानिर तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के दहरी खेडा गांव में 0.0104 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

Suresh
 सचिव

शांति देवी
 सरपंच

ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 प्रस्ताव संख्या 02 में अंगीकृत



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- छतरीखेड़ा
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियांकलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 22
खाता संख्या पुराना :- 22

काश्तकार का नाम:-

महकमा जंगलात विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	318.1000	गेमु.जंगल	318.1000	0.0000	
2	181.1800	गेमु.जंगल	181.1800	0.0000	
3	27.1300	गेमु.नदी	27.1300	0.0000	
4	175.1200	गेमु.जंगल	175.1200	0.0000	
5	10.1500	गेमु.नदी	10.1500	0.0000	
6	4.1800	बंजड़	4.1800	1.4700	
15	0.0100	गेमु.मकान	0.0100	0.0000	
16	1.0100	बंजड़	1.0100	0.3150	
17	0.0500	बंजड़	0.0500	0.0750	
18	50.1400	गेमु.जंगल	50.1400	0.0000	
19	11.0600	बंजड़	11.0600	3.3900	
20	2.0100	गेमु.आबादी	2.0100	0.0000	
21	0.0600	बंजड़	0.0600	0.0900	
22	0.0100	गेमु.चबूतरा	0.0100	0.0000	
23	0.0500	बंजड़	0.0500	0.0750	
28	14.0900	गेमु.नदी	14.0900	0.0000	
31	0.0400	बंजड़	0.0400	0.0600	
32	0.0500	बंजड़	0.0500	0.0750	
39	0.0100	गेमु.खड्डा	0.0100	0.0000	
40	0.0300	बंजड़	0.0300	0.0450	
41	0.0200	बंजड़	0.0200	0.0300	
50	47.0400	बंजड़	47.0400	14.1600	
51	42.0400	गेमु.जंगल	42.0400	0.0000	
53/2	7.1000	गेमु.जंगल	7.1000	0.0000	
कुल खसरे - 24 897-08			897-08	19.80	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



Sum
पटवार बिजोलियांखुर्द

5.7.19

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 ग्राम :- फूलन
 दिनांक :- 08/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र बिजौलिया खुर्द के खसरा संख्या 17

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बिजौलिया खुर्द में सरपंच गायत्री देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के फूलन गांव में 0-0261 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बिजौलिया खुर्द से फूलन तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के फूलन गांव में 0-0261 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया


 सरपंच
 ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द
 पं म बिजौलिया

ग्राम सभा दिनांक 8-8-2019
 पुस्तक संख्या ② में अंगुली

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- फूलन
पटवार हल्का :- बिजोलियांखुर्द
भू.अभि.नि. :- बिजोलियां खुर्द
तहसील :- बिजोलियांकलां
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 10
खाता संख्या पुराना :- 10

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग ब्लाक तीखी ब्लाक मगर देह ब्लाक मगर देह मे आ.न.1,15,16,17,20/2 ब्लाक मोने का टका आ.न.2,18/1 शुद्धीपत्र 2077,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	816.0800	गेमु.जंगल	816.0800			
2	147.1700	गेमु.जंगल	147.1700			
6	0.1300	गेमु.नाली	0.1300			
8	1.1300	गेमु.नाली	1.1300			
9	15.1800	गेमु.मगरी	15.1800			
10	3.1200	गेमु.भटवेड़	3.1200			
14	5.0000	गेमु.पाल	5.0000			
15	150.1900	गेमु.जंगल	150.1900			
16	8.1500	गेमु.जंगल	8.1500			
17	185.1900	गेमु.जंगल	185.1900			
18/1	518.1500	गेमु.जंगल	518.1500			
19/1	30.0000	गेमु.जंगल	30.0000			
20/2	37.1000	गेमु.जंगल	37.1000			
21/2	68.1500	गेमु.जंगल	68.1500			
22/2	156.0500	गेमु.जंगल	156.0500			
24/11	11.0700	गेमु.पेटातालाब	11.0700			
कुल खसरे - 16	2159-06		2159-06			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 5-Jul-2019



राज.सरकार
पटवार बिजोलियांखुर्द
5.7.19

Prasanna

जान सभा के सामाजिक अभियान समिति के जेम्स चंदन उपलब्ध है

उ.स।	नाम समिति सदस्य	पद	Mobile	रजिस्ट्रार
01	श्रीमती किरण यादव	व्यवस्थापक	8380109496	किरण
02	रिना यादव	ग्राम संसाधन	9982445915	रीना यादव
03	श्री पुष्कर जायसवाल	—	637830339	पुष्कर जायसवाल
04	— अनिल कुमार जायसवाल	—	8769117401	अनिल कुमार जायसवाल
05	— रघुवीर जायसवाल	—	9672064642	Raghoover
06	मीना यादव	—	8239880775	मीना यादव

जान-सभा के निष्ठावादी के द्वारा से चयन की गयी
उपस्थापक को ① नरेंद्रा भोजनार्थी निरीत 11/01/2019 से 31/03/2019
 की अवधि के बीच में हुए व्यय का सामाजिक अभियान किया
 गया तथा व्यय राशी का अभिलेख किया गया जो निम्न है।

क्र.	व्यय का नाम	व्यय राशी	योग
1	प्रतिपद रु. 124794	रु. 124794	124794
2	— रु. 1289985	1289985	1289985
3	— रु. 1435435	1435435	1435435
4	— रु. 1460292	1460292	1460292
5	— रु. 1449896	1449896	1449896
6	— रु. 1449802	1449802	1449802
7	— रु. 1454411	1454411	1454411
8	— रु. 145445	145445	145445
9	— रु. 1464135	1464135	1464135
10	— रु. 2279268	2279268	2279268
11	— रु. 2279293	2279293	2279293
12	— रु. 2300778	2300778	2300778
13	— रु. 1453896	1453896	1453896
14	— रु. 2261520	2261520	2261520
15	मानगट से बाकी राशि रु. 8832	8832	8832
16	व्ययन से व्ययन के कानाका	318644	318644

आजपिनीड २४/१२/१९ जो श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 पिना परिक्रम श्रीमान ने आदेश डमाड। पर्यंत। सा/० अ. ० अयम। २०१९
 १९५५ दिनांक ३१/१२/१९ एवं श्रीमान विद्वान् अधिकारी पं. पु. पिनी
 ने आदेश डमाड :- वसन्ति। मेर्या। मनरेगा। सा/० अ. ० अयम।
 २०१८-२०/१२२ दिनांक ३१/१२/१९ जी अद्यतन में मर्यादा जो
 राष्ट्रीय अमीक राजगार गोरदी अधिनियम के तहत दिनांक
 ०१/१०/२०१८ से ३१/३/२०१९ तक हुए व्यय का सामाजिक मंचरण
 करने हेतु अम-समा का आयोजन आम केवापरी केवापरा अग्र
 में श्रीमान गायत्री डी धारु सीरपत मर्यादा जी मर्यादा
 में रखी गयी।

इस बैठक में सर्वप्रथम गुरु बैठक कार्यवाही को पटवर्
 सुनारपा गुरु विवेक सुकीमिति से अनुमति प्राप्त गयी।

अम-समा में निम्न जनपरिनिधि व व्यक्तियों उपस्थित हुए

क्र.सं.	नाम जनपरिनिधि/व्यक्ति	पद	चलाना
०१	श्रीमान गायत्री डी धारु	सीरपत	गायत्री
०२	अद्यतन अमीक	व्यक्ति	अद्यतन
०३	अद्यतन अमीक	—	अद्यतन
०४	अद्यतन अमीक	—	अद्यतन
०५	अद्यतन अमीक	—	अद्यतन
०६	अद्यतन अमीक	—	अद्यतन
०७	अद्यतन अमीक	—	अद्यतन

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत थडीदा
 ग्राम :- राजरडा
 दिनांक :- 15/8/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र २.६.२१ के खसरा संख्या ०१, ०२, ०३/०१, ०४/०१, ०५/०२, ०६/०२ व ०७/०२

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव थडीदा में सरपंच श्री. सतीश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के २।१२.२१ गांव में ०.०८५ हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् विज्ञापन से प्राप्त किया तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के २।१२.२१ गांव में ०.०८५ हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15-8-2019
 उपस्थित 07 में अनुमोदित!
9/27

सचिव
 ग्राम पंचायत-थडीदा
 पं. स. विजौलिया

दुर्गादेव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत-थडीदा
 पं. स. विजौलिया

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)

(संश्लेषे नियम 13)

समाबन्धी (खतौनी) ग्राम खोटागढ़ पटवार क्षेत्र खोटागढ़ मू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोटागढ़ जिला खोटागढ़ राजस्थान समवत् 2022 से 2025

खेत खतौनी सं.		भू-धारकों का नाम	नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा	समवत्	के लिए	समवत्	के लिए	समवत्	के लिए	टिप्पणियां	
नई	पुरानी							दर सहित ब्योरा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	38	श्री.ग. राणा	रा.पि.राणा	1	636	श्री.ग. राणा				अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	
				2	113	श्री.ग. राणा										
				3	21	श्री.ग. राणा										
				4	11	श्री.ग. राणा										
				5	63	श्री.ग. राणा										
				6	61	श्री.ग. राणा										
				7	2	श्री.ग. राणा										
				8	2137	श्री.ग. राणा										

श्री. राणा
14-6-19

ग्राम-सभा बैठक कार्यवाही विवरण

Kanani

आज दिनांक 15 अगस्त 2019 को श्रीमान
विभाजक अधिकारी प.स. विजोलिया के आदेश क्रमांक
प.स.वि. 1/पंचा. 1/आदेशिका/2019/487 दिनांक 13/8/19
की अनुपालना में तथा राज्य सरकार के आदेश
क्रमांक 1593 दिनांक 8/8/19 एवं अधिसूचना क्रमांक
1359 दिनांक 31/8/19 एवं आदेश क्रमांक 1371/1
दिनांक 31/8/19 की धारणा में तथा कार्यालय
इन्सपेक्शन अधिकारी विजोलिया के आदेश क्रमांक
प.स.वि. 1/2019/1493-1520 दिनांक 14/8/19
की धारणा में सर्वप्रथम श्री प्रो. वी. वी. वी. वी.
की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक का आयोजन
किया गया।

हरनाथ

ग्राम सभा बैठक में महिला समिति
समूह के सदस्यों का उद्घाटन सर्वसम्मति से किया
गया एवं अनुमोदन किया गया।

प्रो. वी. वी. वी. वी.

अनुभव 200 (1) - ग्राम सभा कार्यवाही समिति का जन
स्वास्थ्य समिति की विभाग, परियोजना
व्यवस्थापक, जिला मीलगा में आज का
क्रम :- आ. आ. परि. वृद्ध/माण्ड/19-20/367-368
दिनांक - 18.07.2019 की अनुपालना में आज दिनांक
15 अगस्त 2019 को ग्राम सभा में उद्घाटन किया गया
प्रार्थना - प्रार्थना मीलगा में प्रार्थना परियोजना के क्रम - 2
में क्रम - 8 के अनुसार वनभूमि में पाइपलाइन बिछाते
हुए उद्घाटन किया जो कि उक्त कार्यवाही के माध्यम -
रासगा में गैर उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया
है। एवं पत्रार हस्ता - भण्डार कि रिपोर्ट के अनुसार इसने
संख्या 01, 02, 03/01, 04/01, 05/02, 06/02 एवं 07/02
की कुल भूमि 0.084 हेक्टर वनभूमि की है।

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

प्रो. वी. वी. वी. वी.

उक्त उद्घाटन पर विचार - विमर्श कर
सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कार्रवाई की जा रही है
एवं अनुमोदन किया जाता है।

(K...at)

Scanned by CamScanner

निम्न लिखित "महिल शांति क्लब" का गान किंग गणिका

नाम	वि. वि.	मोबाईल नं.
श्रीमती दुर्गा देवी रेगर		
श्री राजेन्द्र कुमार थाकड़		
श्रीमती सोनू देवी थाकड़		
श्रीमती दुर्गा देवी थाकड़		
श्री जेणल लाल थाकड़		
श्रीमती अनिता देवी शर्मा	ए. एन. एम थडोडा	
श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा	आंगन वाडी कार्यकर्ता	
श्रीमती संगीता देवी वैष्णव	आशा सहयोगिनी पडोज	
श्रीमती पार्वती देवी थाकड़		
श्रीमती लाड देवी थाकड़		
श्रीमती झुली देवी भील		
श्रीमती फोरी देवी रेगर		
श्रीमती कृष्णा मीणा	ए. एन. एम नयागाँव	
श्रीमती मंजू देवी यादव	ए. एन. एम. जाबडा	
श्रीमती कृष्णा थाकड़	कृषि पर्यवेक्षक थडोडा	
श्रीमती सुनीता कौवर	आ. वा. कार्यकर्ता दिशु-	
श्रीमती दीप्ती देवी कोली	आ. वा. कार्यकर्ता ^{विलास} नयागाँव	
श्रीमती गीता देवी थाकड़	आशा सहयोगिनी जाबडा	
श्रीमती संगीता जोरवामी	आं. सह. नयागाँव	
श्रीमती शिमला देवी सुधार	सहायिका थडोडा	
श्रीमती सन्तोष देवी रेगर	सहायिका जाबडा	
श्रीमती शीला देवी	च. प्रे. कर्म. आयु. ऑप.	
सुमन थाकड़	अध्यापिका जाबडा	
प्रिया मीणा	अध्यापिका जाबडा	
प्रियंका जोशी	अध्यापिका जाबडा	
रेणु वर्मा	अध्यापिका नयागाँव	
पिंकी मीणा	अध्यापिका नयागाँव	
सुशीला आचार्य	अध्यापिका क्षेत्र पडोज	
श्रीमती वन्दना शर्मा	प. सा. थडोडा	
श्रीमती सम्पती थाकड़	प. सा. थडोडा	

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत सुरवपुरा
 ग्राम :- कनेर
 दिनांक :- 01/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र सुरवपुरा के खसरा संख्या 4, 6, 9/6

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव सुरवपुरा में सरपंच मोहिता देवी पांडव की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

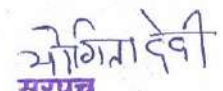
1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के कनेर गांव में 0-0354 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् निर्माण कार्य से कनेर तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के कनेर गांव में 0-0354 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 01-08-2019 के प्रस्ताव

को ② में अनुमोदित


 ग्राम सभा अध्यक्ष
 ग्राम पंचायत-सुरवपुरा
 प.स. बिजौलियाँ


 सरपंच
 ग्राम पंचायत-सुरवपुरा
 प.स. बिजौलियाँ

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम कनूर पटवार क्षेत्र भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तहसील जिला राजस्थान सम्वत् 20..... से 2076 तक

खेवट (खतौनी) संख्या	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा		सम्वत् के लिए		सम्वत् के लिए		सम्वत् के लिए		17
							दर सहित व्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के व्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	
1	नई पुरानी														
2	21 जे. लाहूर	वन विभाग राजपूरी रोड फाउलक	4												
3	21 जे. खतकार	वन विभाग हीवा	9/6	113.10	गैर कृषि भूमि										

रस्तोगी, अजमेर फोन : 2632154

Code : J-101

ग्राम सभा दिनांक 06/8/2019

Kamal

सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा =>

आज दिनांक 01-08-2019 को प्रातः 10 बजे
से महातरंग योजना हेतु सामाजिक अंकेक्षण
की ग्राम सभा का आयोजन करा गया है।
ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच श्री मति
मोहिता देवी ने की।
श्री कमल विमल भट्टाचार्य मोहाप के अध्यक्ष
कृ.सं. 122/8-7-19 के अनुसार महातरंग योजना
के अन्तर्गत दिनांक 01.10-18 से 31.3-18 तक
की अवधि में कराये गये कार्यों का सामाजिक
अंकेक्षण किया जाता है।

ग्राम सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों/कर्मचारीगण
जिन अधिकारियों ने भाग लिया -

क्र.सं.	नाम व पदनाम एवं विभाग का नाम	हस्ताक्षर
①	श्री मति मोहिता देवी भादव सरपंच	मोहिता देवी
②	श्री करण सोनी	ग्राम विमल भट्टाचार्य
③	श्री ओम प्रकाश धामर	सिद्ध सहायक
④	श्रीमती सीमा शीला	ANM
⑤	मंजू बलार	ग्राम सचिव

आमोक्तिक अंकेक्षण का नतीजा

- क्र.सं.
1. GRP नरेश राय
 2. GRP ज्योति
 3. GRP राकेश
 4. GRP सीमा राय
 5. GRP हरिश्चन्द्र
 6. GRP कल्याण राय

प्रस्ताव सं. ① सर्व प्रकार के वृक्षों का पट्टा लगाकर सर्व ग्रामीणों से अनुदान लिया गया।

भीमा भाव

प्रस्ताव सं. ② आमोक्तिक अंकेक्षण कार्य का दिनांक 01-10-2018 से 31-03-2019 तक ग्रामवासियों में कराये गये जिन व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया →

महता

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम व. ग्राम का नाम	स्थिति	समाप्ति	मार्ग
①	अमरनाथ राय निवास श्री. कल्याण	35848	2032	56380
②	श्यामल अग्रवाल गोदाक निवास श्री	50085	-	50085
③	मोदीराम / देवीलाल श्री अनामिका निवास श्री. रवींद्र	5068	-	5068
④	अनाराम / दुलाराम श्री 2882389 अनामिका निवास श्री	7059	-	7059
⑤	सोनी / मंगीलाल श्री 2882364 अनामिका निवास श्री. रवींद्र	2534	-	2534
⑥	राज / जीतमल श्री 2882366 अनामिका निवास श्री. रवींद्र	2534	-	2534
⑦	सीताराम / नन्दा श्री 2882321 अनामिका निवास श्री. रवींद्र	5216	-	5216

क्र.सं.	कार्य का नाम व प्राप्ति	इतना जारी		
		मक	सामग्री	माला
8	Pmay R31585225 IAY 241494	3620	-	3620
9	Pmay R31607270 IAY 241411	2534	-	2534
10	Pmay R31439377 IAY 405210	2496	-	2496
11	Pmay R31611740 IAY 536253	2496	-	2496
12	Pmay R3613314 IAY 536371	12288	-	12288
13	Pmay R32296518 IAY 554527	5376	-	5376
14	Pmay R31348254 IAY 610442	2304	-	2304
15	Pmay R31496995 IAY 611260	5376	-	5376
16	Pmay R31609890 IAY 612032	7488	-	7488
17	Pmay R31613313 IAY 612076	7276	-	7276
18	Pmay R31613340 IAY 612077	11704	-	11704
19	Pmay R31502811 IAY 766314	15744	-	15744
20	Pmay R31939198 IAY 767498	2496	-	2496
21	Pmay R31965473 IAY 767530	10368	-	10368
22	Pmay R31965505 IAY 767531	2496	-	2496
23	Pmay R32318830 IAY 768425	11328	-	11328
24	लोकेशन नमूने के तहत कोर गरी गरीकरण			
	कार्य नुमा 112908273802	54193	-	54193
25	लोकेशन नमूने के तहत लारागाई में	132871	-	132871
	गरी की रूप बहाना एवं गरीकरण कार्य			
26	गरी निमित्त कार्य के लिए 112908273802	238206	-	238206
27	गरी गरी व कोर गरीकरण कार्य रजिस्ट्रार	254049	-	254049
		895340	20322	916272

सांख्यिक अभिलेख ग्राम सभा 01-08-2019

Kamal

प्रस्ताव सं. ③ कापाला माधवराव अभियाना का

प्रस्ताव अभियाना का विभाग परमाणु

प्रस्ताव माधवराव पिता - भीमराव का प्राप्त आदेश

क्रमांक 1. मं. अ/परि - /प्रस्ताव/क्रमांक/19-20/

दिनांक 18.07.2019 की अनुपस्थिति में आदेश क्रमांक

01-08-2019 को ग्राम सभा में प्रस्ताव लिखा जाया

तथा - सम्बन्ध भीमराव परमाणु परमाणु के

क्रमांक 2 के पैकेज - 8 के अन्तर्गत लागू

में पाइप लाइन बिदाई हेतु प्रस्तावित है जो कि

इस ग्राम पंचायत के बाह्य क्षेत्र में गैर इलाका

के लिए उपयुक्त है। एवं परवाट

इलाका - सुवपुरा में रिपोर्ट के अनुसार इसके

अंतरा सं. प. 6. 9/6 की कुल शक्ति 0.0354

इंजिन का शक्ति है।

इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर

सर्व सहमत से निर्णय लेकर पारित

किया जाता है एवं अनुमति दिया जाता है।

ग्राम .संज्ञा 01-08-2019

Kamal

आवाजिन, प्रेरितरण में निम्न मलदाताओं के आवाज लिखें		
क्र.सं.	मलदाता का नाम	ग्राम का नाम
(1)	गीलीदेरी / अमरपालात ग्रीट	शुभपुर / बेलेरी
(2)	कल्याणीबाई / बालाचन्द ग्रीट	"
(3)	मंजुबाई / रामप्रसाद ग्रीट	"
(4)	इन्का / गौदनबाल ग्रीट	"
(5)	मोहनी / अँकलात ग्रीट	"
(6)	जगनीदेरी / बालूजी ग्रीट	"
(7)	राधादेरी / बन्दीलात ग्रीट	"
(8)	कमलानदी / शंकरलालदास	"
(9)	मांगीबाई / प्रभुलाल ग्रीट	"
(10)	राजेशाबाई / दयाराम ग्रीट	"
(11)	मीरादेरी / नन्दकिशोर ग्रीट	"
(12)	रामपाली / रतनलाल ग्रीट	"
(13)	प्रेम / कैलाजी ग्रीट	"
(14)	कांती / लालाजी ग्रीट	"
(15)	भवंरी / लक्ष्मण ग्रीट	"

समाहित निम्नलिखित में निम्न मन्त्रालयों के प्राप्ति स्थिति

(13)	बगलौड़ी / हलौरी गांव	उत्तर	बगलौरी
(14)	गुड्डादेवी / मदन मदन	११	गुड्डादेवी
(15)	जीनादेवी / हरेश गांव	११	जीना
(16)	मोडीबड़ी / मोडीलाहवाड़ा	बड़ी	मोडीबड़ी
(17)	गौशहवा / गजाली वैरा	बड़ी	गौशहवा
(18)	केलाबड़ी / हमरीलाह वैरा	बड़ी	केलाबड़ी
(19)	रुगना / रुगनात जीवा	बड़ी	रुगनादेवी
(20)	रुगना / बिजालाल मोठा	११	रुगनादेवी
(21)	मोहनी / वरदा ग्रीट	बड़ी	मोहनी
(22)	नरु / पुलसीराम लुहार	बड़ी	नरुदेवी
(23)	लाइदेवी / गोपाल लुहार	बड़ी	लाइदेवी
(24)	मेवा / शमालाल ग्रीट	११	मेवा
(25)	माली / रतनलाल ग्रीट	११	मालीदेवी
(26)	शान्ती / मोतीलाल ग्रीट	११	शान्तीदेवी
(27)	सम्भू / शम्भूलाल ग्रीट	११	सम्भू
31	प्रेम / रतन ग्रीट	११	प्रेम

32	प्रेम / रतीशम गति	सदीकर	
33	उमिता / कमलेश गति	"	
34	नाली / जौदन गति	"	नालीदेवी
35	देव / निर्मल गति	"	देव
36	सम्पति / प्रकाश गति	"	सम्पतिदेवी
37	मांगी / रामलाल गति	"	मांगी
38	दुर्गा / रमेश गति	"	दुर्गा
39	प्रदुषण कल्या / प्रदु गति	"	प्रदुषण
40	कल्याणी / तुलसीराम	"	कल्याणी
41	लीला / राम प्रसाद गति	"	लीला
42	धोसी / अचल गति	"	धोसी
43	धुली / प्रदीप गति	"	धुली
44	बरजी / शक्ति बरजा	"	
45	विमला / कल्प चन्द काल	सुलकर	विमला
46	सीमा / गणेश गति	समीकर	सीमा
47	कांता / नरनरसिंह पादव	सुलकर	कांता

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत अरारीली
 ग्राम :- करमात
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र अरारीली के खसरा संख्या 26, 28, 29, 30

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव अरारीली में सरपंच नारायण लाल ठरवा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के अरारीली गांव में 0-06-06 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् 2.51.24.25 से करमात तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।

3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लागान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के करमात गांव में 0-06-06 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15/08/2019
 प्रस्ताव संख्या 04 में अनुमोदित है।

Shishu 27/08/19
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत आरारीली
 एं स बिजौलिया

संयोजक
 ग्राम पंचायत आरारीली
 एं स बिजौलिया

जमाबंदी (खतौनी) ग्राम (आबोली) पटवार क्षेत्र (आबोली) भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र (अबोली) तहसील (अबोली) जिला (अबोली) राजस्थान सम्वत् 2073 से 2076 तक (दीर्घ नियम 13)

खेवट (खतौनी) संख्या	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	दर सहित ब्यौरा	कृषक द्वारा	सम्यत् के लिए		सम्यत् के लिए		सम्यत् के लिए		17
									अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	
1	नई पुरानी														
394 381	राजेंद्र बनकर	वन विभाग राजस्थान सरकार	26 28 29 30 x x x	2-13 10.03 12-05 85-05 x x x	खसरी बनानी जमुना जमुना	x x x	0.3 0.3 - - x x x	0.80 3.05 - - x x x							

(Internal)

ब्रह्म दिनांक 15-08-2019 को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1593 दिनांक 2-08-2019 व 1539 09/08/19 तथा 137 दिनांक 09-08-2019 की अनुपालना में पंचायत समिति विजौलिया के आदेश क्रमांक पंच/वि/पंच/मस/2019/487 के क्रमानुसार ब्रह्म समा का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार महिला शक्ति समूह के गठन के सम्बंध में जानकारी दी गई। तथा महिला शक्ति समूह के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी दी गई।

महाराज ए.का.
सरकार
N/A
Shiel
ब्रह्म समा कार्य-
दीक्षा

पु.सं. ① सर्वप्रथम गत बैठक कार्यवाही का पटल करके सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

जि.का.सं. 2/2

पु.सं. ② ब्रह्म समा में महिला शक्ति समूह के गठन का प्रस्ताव लिया गया। तथा इसी ब्रह्म समा में महिला शक्ति समूह के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी भी आमवासियों को दी गई। ब्रह्म पंचायत महिला शक्ति समूह की संरचना निम्नानुसार होगी :-

जे.पी.ताला
सि.सं. 1/2

- अ. श्री. जगदीश लाल गैला (सरपंच) अध्यक्ष
- ब. श्री. गजेंद्र बंजारा (उपसरपंच) प्रदेन
- स. श्री. गति अजु भीम (वाइस) प्रदेन
- द. श्री. गति श्यामरी बछे (गुर्जर वाइस) सहायक
- य. श्री. कुंजराज गोवा (पु.सं.) प्रदेन
- र. श्री. जैन (उपसरपंच) प्रदेन
- ग. श्री. बछे, श्री. भीम, श्री. गति, श्री. गति
- व. (अध्यक्ष) प्रदेन
- स. श्री. गति, श्री. गति, श्री. गति, श्री. गति
- ह. श्री. गति, श्री. गति, श्री. गति, श्री. गति

जे.पी. 1/2
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन
प्रदेन

पु.सं. (3) महिला व मि. समूह की बैठक वराम पंचायत की प्रमोद माह की 5 तारीख को होने वाली बैठक के तुरंत बाद सम्पन्न की जाएगी।

पु.सं. (4) राज्य सरकार के निर्देशानुसार वराम समाम वराम आंगणी नारागाह के नाम दर्ज भूमि आंगणी 4. 115 कुल रकबा 2 प बीघा 17 बरबा में से 2 बीघा भूमि ~~भूमि~~ के इमरान (समुदाय) के नाम दर्ज करने का प्रस्ताव पूरा किया गया। जिस पर उपरिक्त बरखा का पत्र - विचार विमर्श उपरांत नारागाह की 2 प बीघा 17 बरबा में से 2 बीघा भूमि इमरान के नाम दर्ज करने व बिजानाम भूमि आंगणी 4. 112 कुल रकबा 8 बीघा 18 बरबा में से 2 बीघा भूमि नारागाह के नाम दर्ज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अंतराल

श्री कलाम

श्री कलाम

पु.सं. (5) कामलिय अधिवासी आंगियना जन स्वार्थ्य आंगियानि की विभाग परमाणुना खेड आण्डमगट नलिना श्रीमवाडा से प्राप्त अधिवासी अ.अ. परि. खेड/गान्ड./19-20/1967-368 दिनांक 05/04/2019 की अनुपालना में आंगियना विभाग 15 अगस्त 2019 को वराम समाम पुनराव लिया गया तभी नम्य श्रीमवाडा पण्डित परिमाणना के फेज-2 पड्डे-8 के अधिवासी भूमि में पड्डेलाश विमान हल पुनरावित हो जा कि उक्त वराम पंचायत के अगस्त वराम करलात में ठारु उडकय के लिये उपसंगान ली जानी हो कर्ण पटार हमा काली पि रिजेंट के अनुसार 26, 28, 29, 30 अक्टूबर 0.066 तम्र वराम भूमि से उक्त पुनराव पर विचार-विमर्श के अंतर्गत

नारायण राजेन्द्र

नारायण पट्ट

नारायण

नारायण

निम्न लिखित पारित किया जाता है एवं अनुमोदित
किया जाता है।

village wise area calculation sheet

Name of Project:- Balance work of cluster scheme of 315 villages of Mandalgarh, Bijoliya and Jahajpur tehsils alongwith augmetation of UWSS of Mandalgarh and Bijliya Town from Aroli Headworks under Chambal Bhilwara water supply project phase-2, package-8 of Bhilwara

Proposal No. FP/RJ/Water/36565/2018

S. No.	segment	village name	village panchayat	length (metres)	width	area (Hect)	remarks
1	1	chandpura	rajgarh	783.52	0.6	0.0470	
2	2	ummedpura	rajgarh	136.3	0.6	0.0082	
3	5	duda ji ka khera	beekaran	256.48	0.6	0.0154	
4		takhatji ka khera	beekaran	800	0.6	0.0480	
5	6	kham ka khera	beekaran	1914.23	0.6	0.1149	
6	7	shyampura	shyampura	697.2	0.5	0.0418	
7	8	hameeriya	shyampura	860	0.6	0.0516	
8	9	banka	bhopatpura	2743.22	0.6	0.1646	
	10	banka	bhopatpura	983.5	0.6	0.0590	
9		lorda	bhopatpura	2000	0.6	0.1200	
10	11	sunthi	bhopatpura	2684.15	0.6	0.1610	
11	12	teekhi	bijoliya khurd	5438.09	0.6	0.3263	
12		ramrada	thadoda	1399	0.6	0.0839	
13	13	phoolan	bijoliya khurd	435	0.6	0.0261	
14		mangarh	bijoliya khurd	1848.51	0.6	0.1109	
15	14	mangarh	bijoliya khurd	242	0.6	0.0145	
		patiyal	bijoliya khurd	1133.68	0.6	0.0680	
		chhatrikhera khurd	bijoliya khurd	173	0.6	0.0104	
		brindavan	bijoliya khurd	115	0.6	0.0069	
17	15	brindavan	bijoliya khurd	954	0.6	0.0572	
18		kaner	subhpura	590	0.6	0.0354	
19		karleo	aroli	1009.17	0.6	0.0606	
20	16	bhopalgarh	shyampura	200	0.6	0.0120	
21		fatehpura	mohanpura	1295.37	0.6	0.0777	
22	17	anando ka khera	mohanpura	1081.67	0.6	0.0649	
23	18	mohanpura	mohanpura	1214.06	0.6	0.0728	
24	19	neem ka khera	mohanpura	698.87	0.6	0.0419	
25	20	bharji ka khera	mandalgarh	827.95	0.5	0.0497	
26	21	kekariya	sarana	1597.72	0.6	0.0959	
TOTAL				34111.69		2.0467	

Segment 3: Kacchola forest avoided due to change in alignment of pipeline.
segment 4: Avoided.

आज दिनांक को वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का अस्तित्व किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है। उक्त पेयजल पाईप लाईन के विछाने हेतु वार्ड सभा ने वन भूमि में प्रस्तावित 827.95 मीटर लम्बाई पाईप लाईन की आवश्यकता बताई गई एवं वार्ड सभा में दर्ज विवरण के अनुसार निर्मांकित वन भूमि पर अनुमति खण्डाजी एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्राधान्यानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित तथा प्रक्रियाधीन नहीं है।

जिले की स्तर पर वनक्षेत्र में प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर विछाने में कोई अड़थाम नहीं है एवं सर्वसम्मति से वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी जाती है।

उल्लेखित विभाग सम्वत परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन लम्बाई 827.95 मीटर विछाने में आने वाली वनभूमि की लोकेशन नीचे दर्शाई गई है।

अधिकृत वन भूमि - 0.0497 हेक्टेयर
 संसद सं - 430/198
 राजस्व सं - गारजी का खेडा
 वार्ड सं - 05, नगरपालिका माण्डलगढ,
 जिला - भीलवाड़ा

Waste

यहूदाई

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत राजगढ़
 ग्राम :- उम्मेदपुरा
 दिनांक :- 11/8/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र राजगढ़ के खसरा संख्या 197

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव राजगढ़ में सरपंच सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के उम्मेदपुरा गांव में 0082 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् उम्मेदपुरा से कल्लारीपो का खेड़ा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के उम्मेदपुरा गांव में 0082 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 11/8/2019 पृष्ठ संख्या 002
 में अनुमोदित है।

लाल लाल
 अध्यक्ष
 ग्राम पंचायत राजगढ़
 को.स. माण्डलगढ़

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत राजगढ़
 को.स. माण्डलगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत राजगढ़
 ग्राम :- राजगढ़
 दिनांक :- 01/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र 21-640-16 के खसरा संख्या 98/01, 103, 105, 110

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव राजगढ़ में सरपंच राजगढ़ की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के राजगढ़ गांव में 0.0470 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् राजगढ़ से राजगढ़ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के राजगढ़ गांव में 0.0470 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 01/08/2019 प्रस्ताव सं० 02
 में अनुमोदित है।

राजगढ़
 अध्यक्ष

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत राजगढ़
 राजगढ़

[illegible]

दिनांक

बाली गुजरी
P.R.P

समाजिक भर्त्सना दल

- (1) B.R.P = शिव कुमार रेन = शिव रेन
- (2) G.R.P = मनीष रेन = मनीष रेन
- (3) G.R.P = देवेन्द्र नाथ = देवेन्द्र नाथ
- (4) G.R.P = शंकर धाम = शंकर धाम
- (5) G.R.P = मुकेश कुमार शर्मा = Mukesh

मैकेल

गो.दु.लाल

रामेश

मैकेल

मैकेल

मैकेल

मैकेल

मैकेल

मैकेल

मैकेल

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत लीकरण
 ग्राम :- डुम्राणी का खेड़ा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र लीकरण के खसरा संख्या 86/70

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव लीकरण में सरपंच लाली केवल की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के डुम्राणी का खेड़ा गांव में 0-0153 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् लीकरण उद्योगालय से डुम्राणी का खेड़ा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के डुम्राणी का खेड़ा गांव में 0-0153 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। अमरप्रकाश 15/8/2019, प्रस्ताव

लाली केवल
 अध्यक्ष
 15/8/2019

मे. उ. के. अकशित
 अध्यक्ष
 15/8/2019

नाम पता जिला तहसील पोस्टाधिकार क्षेत्र राज्य

[illegible]

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत भीलवाडा खेड़ा बीकरग
 ग्राम :- तरवती का खेड़ा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र माण्डलगढ के खसरा संख्या 223/24 बीकरग

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव बीकरग में सरपंच लाली कंवर की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के तरवती का खेड़ा गांव में 0.048 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड, माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बीकरग से माण्डलगढ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के तरवती का खेड़ा गांव में 0.048 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15/08/2019, प्रस्ताव संख्या 3 के अनुमोदन से


 ग्राम मुख्यालय पर
 ग्राम पंचायत भीलवाडा
 02 माण्डलगढ

लाली कंवर
 सरपंच
 ग्राम पंचायत भीलवाडा
 माण्डलगढ

नामावली (सतीनी) ग्राम
 (रा.प.का.का.) को पदवार क्षेत्र
 भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
 तहसील
 जिला
 राजस्थान सम्वत् 2074-75 से 2077 तक

केवल नकल के उपयोग के लिए

खेपट (खतीनी)		संख्या	भू-धारकों का नाम	कारतकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा विवाह-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूदा वर्गीकरण	विवाद के स्रोत	हृषिक द्वारा		सम्पत् के लिए		सम्पत् के लिए		सम्पत् के लिए		टिप्पणी
1	2								3	4	5	6	7	8	9	10	
44	45	राज संख्या	महाराज	223 24	27-05	भूदा वर्गीकरण											
राजसिंह नि: मुक्त भूमि में पटवार मण्डल नि: मुक्त भूमि में पटवार मण्डल नि: मुक्त भूमि में																	

रस्तीनी, अन्वेषण कोड : 2971252, 53

Code : J-101

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत बीकरग
 ग्राम :- रवाम का खेड़ा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र रवाम का खेड़ा के खसरा संख्या 121 बीनारग

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रवाम का खेड़ा में सरपंच लाली क्वर की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के रवाम का खेड़ा गांव में 1149 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् बीनोलिभा से रवाम का खेड़ा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के रवाम का खेड़ा गांव में 1149 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15/08/19 प्रस्ताव संख्या 121 रवाम का खेड़ा



ग्राम मुखक पवन मोहन
 ग्राम पंचायत बीनारग
 0 12 माण्डलगढ़

लाली क्वर

ग्राम मुखक बीनारग
 0 12 माण्डलगढ़

जमाबंदी (खतीनी) ग्राम रत्नम का १९५१ पट्टार क्षेत्र नैमिस्तूरू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ५५१५२ तहसील मंडमरा जिला मीरवाड़ा राजस्थान संवत् २०७५ से २०७३ तक

खेवट (खतीनी) संख्या	भू-धारकों का नाम	कारतकार का नाम पय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वल्प	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के सोत	कृषक द्वारा	सम्बन्ध के लिए		सम्बन्ध के लिए		सम्बन्ध के लिए		कुल कुल		
								दर सहित ध्यौरा	रकम	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	39 राजा सक्कल	नज सिगा	121	2335-03	अंजकाल											
		सुभाषिणी	1	2335-03												

रामसिंह सिंह के सि: सुभाषिणी

52 सुभाषिणी

पटवार मण्डल दीकरण

नरसील माण्ड-नाह (निलवाड़ा)

रखतोनी, अलमोर फोन : 2971252, 53

Code : J-101

श्रीम शर्मा

(7)

Karnal

आज दिनांक 15/08/2019 को श्रीमान विकास झा जी पं.स. माण्डलादे के द्वारा दुरुस्त दुर्गम:- 2019-20/492, 13-8-2019 की बलमा में सरपंच एवं श्रीमती लाली के वरम अच्युतों में प्रात 18:30 बजे से जाकीव जांची केन्द्र में शुभ शुरुआत का आयोजन किया गया।

अनुरोध निम्न कर्मचारी/अतिथी/कार्य में निम्नलिखित की दुपार की हुई थी।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ता
1	श्रीमती लाली केवर	सरपंच	लाली केवर
2	श्रीमती लाली केवर	ग्राहक विकास अधिकारी	लाली केवर
3	श्रीमती ममता देवी भीगा	लाइफ च	ममता
4	श्रीमती लाली देवी भीगा	—	लाली केवर
5	श्रीमती प्रमोद नाथ	—	प्रमोद
6	श्रीमती अनिता सेन	—	अनिता
7	श्रीमती लाली देवी भीगा	—	लाली केवर

सर्वप्रथम ग्राम में स्वयंसेवक समिति द्वारा ग्राम में स्वयंसेवक समिति के
विवरण को लेकर बुलाया गया जिसका सर्वसम्मति से
अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या: 1

सन् १९७० द्वारा ग्राम में स्वयंसेवक समिति
एवं ग्राम बाकी में से बचपन संदेश के संचालन
युनायटेड राज्य एवं हर वर्ष की तारीख इस वर्ष में
स्वतन्त्रता दिवस को हार्दिकता से मनाया
गया।

ग्रामसेवा

मि. क. र.

प्रस्ताव संख्या: 2

महिला शक्ति समूह के गठन के
बारे में।

ग्रामसेवा

वर्तमान ग्राम में स्वयंसेवक समिति के निर्देशानुसार
महिला शक्ति समूह का गठन किया जाकर
उक्त समूह द्वारा ग्राम में स्वयंसेवक समिति
द्वारा निर्णयित कार्यक्रमों की अंतिम रूप में

अ. र.

1. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9783563923
2. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9828318487
3. श्रीमती अमिताभ	सदस्य	पदेन सदस्य	9828318487
4. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9783004250
5. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	8104745524
6. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9571579434
7. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	7665122083
8. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9543337105
9. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9783430842
10. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9772158121
11. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9782647319
12. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	9785293122
13. श्रीमती लाली कंवर	सदस्य	पदेन सदस्य	732073816

मि. क. र.

मि. क. र.

मि. क. र.

पुस्तक सं. 5

चक्रान्तरे ३ सप्तम्यं दी।

राजस्थान राज्य में जल विभाग द्वारा विभाग
परियोजना द्वारा 1 मीलवाड़ा के इलाके में
मिलवाड़ा में जल परियोजना का - 1 पैकेज
परियोजना द्वारा मालवाड़ा के इलाके में
जाने वाली परियोजना के लिए पट्टा
विकास के अन्तर्गत 2023/24 में मालवा
जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ग्राम सभा तथा
ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में
निम्न पर - कार्य की गई।

- [illegible]

नो का

के लक्ष्मी कोंडो गोविंद ००५४
 के कोंडो कोंडो गोविंद
 इस बीच दो बार गोविंद के गोविंद
 गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद
 ११५७ हेक्टर गोविंद गोविंद गोविंद
 गोविंद-दुधाली के गोविंद गोविंद गोविंद
 गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद
 कार्य हेतु सौ गोविंद गोविंद गोविंद

गोविंद सचिव गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद
 गोविंद

गोविंद

गोविंद

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत रामपुरा
 ग्राम :- हमिरा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र रामपुरा के खसरा संख्या 1962

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रामपुरा में सरपंच सोनु मीणा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के हमिरा गांव में 0.516 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् विज्ञापित से धामनि तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के हमिरा गांव में 0.516 हेक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

श्रीमत् स्था 15/8/2019 से प्राप्त नं-02 में
 सहमति है

सोनु मीणा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत रामपुरा
 पं. म. विज्ञापित

Rup
 जल विभाग, राजस्थान
 जल संयंत्र, रामपुरा
 पं. म. विज्ञापित

अ. वि. जमाबन्दी (खतीनी) ग्राम हूमायूँिया पटवार क्षेत्र शूषामगुरा शू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शूषामगुरा तहसील माउलाजा जिला अलिगढ़ राजस्थान संवत् 2071 से 2077 तक

[illegible]

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत रथामपुरा
 ग्राम :- मोपालगढ़
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र रथामपुरा के खसरा संख्या 62, 63

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रथामपुरा में सरपंच सोना मीठा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के मोपालगढ़ गांव में 0120 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाही अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् सीरला से फतेपुरा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के मोपालगढ़ गांव में 0120 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा 15/8/2019 में प्रस्ताव नं- 02 के
 मजबूती है।

सोना मीठा
 सरपंच

ग्राम पंचायत रथामपुरा
 पं. स. बिजौलिया

Pruthi
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत रथामपुरा
 पं. स. बिजौलिया

गुणवत्ता (सूची) ग्राम ... पटवार क्षेत्र ... मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ... जिला ... राज्य ... 2072 से 2076 तक

खेट (खोतीनी) संख्या	भू-धारकों का नाम	कारतदार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वल्प	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा		सम्पत् के लिए		सम्पत् के लिए		सम्पत् के लिए		नई पुरानी	
							दर सहित ब्योरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुमानित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के ब्योरे सहित अनुमानित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	अंतरण के प्रकार सहित अनुमानित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	राज सरका	महकमा जंगलत व्यास सोने का टका	62	241-15 गेज पटा	63	562-14 गेज पटा										
															</	

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत रामपुरा
 ग्राम :- रामपुरा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र रामपुरा के खसरा संख्या 1204

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव रामपुरा में सरपंच सोहन मीणा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के रामपुरा गांव में 0.0418 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् रामपुरा से घोरा उच्च तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जलेश्वर
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के रामपुरा गांव में 0.0418 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15/8/2019 में प्रचारित
 2 में मधुमेदीत है।

सोहन मीणा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत रामपुरा
 पं. स. विजौलिया

Ruf
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत रामपुरा
 पं. स. विजौलिया

राजस्थान सरकार एवं जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा
पंचायत राज विधेयक के अन्तर्गत 15 मार्च (समस्त) दिनांक पर सम्पन्न
श्रीमती सोना देवी जीवा की अध्यक्षता में इन्होंने
केन्द्र अशासपुरा के 14-15 वीं गांव राजा का
विभाजन। जिसमें निम्नानुसार निर्धारित की गई।

क्र.सं.	गांव	पट्टा	क्षेत्रफल
1	सोना देवी जीवा	अशासपुरा	15.00
2	कैलाश-कडवासी	अशासपुरा	15.00
3	द्वारे पालीवाल	अशासपुरा	15.00
4	पुष्पेश्वर जीवा	अशासपुरा	15.00
5	कमलेश्वर	अशासपुरा	15.00
6	सोना देवी जीवा	अशासपुरा	15.00
7	कमलेश्वर	अशासपुरा	15.00
8	कमलेश्वर	अशासपुरा	15.00
9	कमलेश्वर	अशासपुरा	15.00

प्रस्ताव सं. 1 - राशन दोतर द्वारा सामाजिक
अव्यवस्था हेतु माह जनवरी से
अगस्त 2019 तक का रेटेक एवं
वितरण का प्रेरणा जोया प्रस्तुत किया
गया जिसकी माह खाता में पर्यटन प्रस्ताव
को निम्नानुसार -

	राशन कार्ड	आर्य
अनुसूचित परिवार	80	415
अनुसूचित परिवार	915	3990

क्र.सं.	माह	प्रारंभिक रेटेक	रॉक प्रेरण	प्रेरण
1.	जनवरी 19	87.7600	187.90	227.68 173.65 104.01
2.	फरवरी 19	104.01	197.35	294.36 112.20 182.16
3.	मार्च 19	102.16	190.10	312.26 187.30 210.91
4.	अप्रैल 19	214.91	189.93	404.86 204.10 200.76
5.	मई 19	200.40	176.05	337.61 175.00 162.61
6.	जून 19	182.61	180.00	353.44 173.60 177.84
7.	जुलाई 19	179.54	170.45	327.99 194.10 173.49
8.	अगस्त 19	170.45	-	-

गौरव प्रेरण 01/08/2019 का मा. रेटेक 170.45

प्रस्ताव सं. 2 - राशन कार्ड एवं वितरण का काम खाता में
समाप्त कर दिया गया है।

प्रस्ताव सं. 2 - राशन कार्ड एवं वितरण का काम खाता में
समाप्त कर दिया गया है।

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 ग्राम :- मोहनपुरा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या 3, 4, 11, 12

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव मोहनपुरा में सरपंच आशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के मोहनपुरा गांव में 0.0897 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् मोहनपुरा से मोहनपुरा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के मोहनपुरा गांव में 0.0897 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 पं.स. माण्डलगढ, जिला-भीलवाड़ा

ग्राम सभा केने 15.08.2019
 मुस्ताव से (3) के मउने कर
 आशा देवी

आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 पं.स. माण्डलगढ, जिला-भीलवाड़ा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

 प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

 ग्राम का नाम :- फतहपुरा
 पटवार हल्का :- मोहनपुरा
 भू.अभि.नि. :- मांडलगड
 तहसील :- मांडलगड
 जिला :- भीलवाडा

 सम्बत :- 2072 - 2075
 भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
 क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा
 खाता संख्या नया :- 6
 खाता संख्या पुराना :- 5

काश्तकार का नाम:-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	524.1500	गेमु.पहाड	524.1500	0.0000		
2	98.1600	गेमु.पहाड	98.1600	0.0000		
3 ✓	6.1500	गेमु.आवादी	6.1500	0.0000		
4 ✓	212.0700	गेमु.पहाड	212.0700	0.0000		
11 ✓	110.0100	गेमु.नदी	110.0100	0.0000		
12 ✓	30.0300	गेमु.पहाड	30.0300	0.0000		
13	2.0300	गेमु.किला	2.0300	0.0000		
14	590.0700	गेमु.पहाड	590.0700	0.0000		
15	882.0200	गेमु.पहाड	882.0200	0.0000		
कुल खसरे - 9	2457-09		2457-09	0.00		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2019

NIC

 सत्यप्रतिलिपि
 राज.कार्प हेतु जमाबन्दी नकल जारी की गई

 पटवारी
 बाबू लाल मीणा
 पटवार मण्डल, मोहनपुरा
 16/7/2019

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 ग्राम :- अण्डो का खेड़ा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या 166/149

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव मोहनपुरा में सरपंच आशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के अण्डो का खेड़ा गांव में 0.0649 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् मोहनपुरा वन सलाह से अण्डो का खेड़ा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के अण्डो का खेड़ा गांव में 0.0649 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़

ग्राम सभा दिनांक 15.08.2019
 उपस्थित (3) के अनुमोदन
आशा देवी

आशा देवी वैष्णव
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- अणदो का खेडा
पटवार हल्का :- मोहनपुरा
भू.अभि.नि. :- मांडलगड
तहसील :- मांडलगड
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा
खाता संख्या नया :- 18
खाता संख्या पुराना :- 18

काशतकार का नाम:-

वन विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
157/102	4.1400	जंगलात 4.1400	0.0000			
164/92	16.1900	जंगलात 16.1900	0.0000			
165/102	22.0600	जंगलात 22.0600	0.0000			
166/149 ✓	315.0400	जंगलात 315.0400	0.0000			
कुल खसरे - 4	359-03	359-03	0.00			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2019

NIC

सत्यप्रतिलिपि
वाकफत हेतु जमा. नकल जमा की गई

पटवारी
बाबू लाल भीणा
पटवार मण्डल, मोहनपुरा
15/7/2019

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 ग्राम :- मोहनपुरा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या 01, 02, 03, 04, 43, 44

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव मोहनपुरा में सरपंच आशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के मोहनपुरा गांव में 0-0728 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् मोहनपुरा से जानागढ़ तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के मोहनपुरा गांव में 0-0728 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़

ग्राम सभा उन्मुख 15.08.2019
 हस्ताक्षर ले. (3) के अ. उ. ले. 48
आशा देवी
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 प.स. माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (वी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- मोहनपुरा
पटवार हल्का :- मोहनपुरा
भू. अभि. नि. :- मांडलगढ़
तहसील :- मांडलगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2073 - 2076

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा

खाता संख्या नया :- 320

खाता संख्या पुराना :- 308

काश्तकार का नाम :-

वन - विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संघत लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1 ✓	350.0400	गेमु.पहाड़	350.0400	0.0000	
2/1 ✓	194.0500	गेमु.पहाड़	194.0500	0.0000	
3/1 ✓	168.1300	चारागाह	168.1300	0.0000	
24/2	1.0600	चारागाह	1.0600	0.0000	
25/1	3.0600	चारागाह	3.0600	0.0000	
26/1	8.0200	चारागाह	8.0200	0.0000	
43/1 ✓	130.0100	चारागाह	130.0100	0.0000	
44 ✓	293.1000	गेमु.पहाड़	293.1000	0.0000	
45/1	148.0700	गेमु.पहाड़	148.0700	0.0000	
46/1	41.0700	चारागाह	41.0700	0.0000	
591	18.0600	जंगलात	18.0600	0.0000	
609	178.0500	जंगलात	178.0500	0.0000	
613	5.0000	जंगलात	5.0000	0.0000	
617	96.1000	जंगलात	96.1000	0.0000	
618	95.1000	जंगलात	95.1000	0.0000	
619	470.0000	जंगलात	470.0000	0.0000	
637	24.1100	जंगलात	24.1100	0.0000	
638	52.1100	जंगलात	52.1100	0.0000	
1046	56.0700	जंगलात	56.0700	0.0000	
1057	412.1500	जंगलात	412.1500	0.0000	
1058	4177.1400	जंगलात	4177.1400	0.0000	
1059	66.1900	जंगलात	66.1900	0.0000	
1091	28.0000	जंगलात	28.0000	0.0000	
1092	15.1000	जंगलात	15.1000	0.0000	
1093	11.0300	जंगलात	11.0300	0.0000	
1125	33.1500	जंगलात	33.1500	0.0000	
1271/608	133.0500	जंगलात	133.0500	0.0000	
1272/557	108.0500	जंगलात	108.0500	0.0000	
1273/558	208.0700	जंगलात	208.0700	0.0000	
1274/597	26.1300	जंगलात	26.1300	0.0000	
1275/620	34.0200	जंगलात	34.0200	0.0000	
1276/610	3.0100	जंगलात	3.0100	0.0000	
1277/621	2.1500	जंगलात	2.1500	0.0000	
1278/631	35.1000	जंगलात	35.1000	0.0000	

सत्यप्रतिलिपि
साक्षात् हेतु जमाबन्दी कल जरी की

मोहनपुरा
पटवारी
साक्षात् जमाबन्दी
मोहनपुरा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- मोहनपुरा
पटवार हल्का :- मोहनपुरा
भू. अभि. नि. :- मांडलगढ़
तहसील :- मांडलगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

संवत् :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज, सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा
खाता संख्या नया :- 320
खाता संख्या पुराना :- 308

1279/633	13.1400	जंगलात	13.1400	0.0000
1280/636	0.0400	जंगलात	0.0400	0.0000
1281/639	3.0900	जंगलात	3.0900	0.0000
1282/556	358.1200	जंगलात	358.1200	0.0000
कुल खसरे - 38	8009-14		8009-14	0.00

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2019

NIC

सत्यप्रतिलिपि

नकल हेतु जारी. नकल जारी की गई

16/7/2019
मोहनपुरा

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 ग्राम :- नीम का खेड़ा
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाड़ा के अधीन चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र मोहनपुरा के खसरा संख्या 326, 676/310, 677/314, 678/317, 680/324, 681/325, 683/327

लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव मोहनपुरा में सरपंच आशा देवी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाड़ा वन प्रभाग के नीम का खेड़ा गांव में 0.0419 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् मोहनपुरा से नीम का खेड़ा तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्राम वासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाड़ा के वन प्रभाग के नीम का खेड़ा गांव में 0.0419 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।


 ग्राम विकास
 ग्राम पंचायत
 पं.स. माण्डलगढ़

ग्राम सभा 6 नो. 18.08.2019
 प्रस्ताव नं (3) में अनुमोदित
आशा देवी
 सरपंच
 ग्राम पंचायत मोहनपुरा
 पं.स. माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा



जमाबन्दी (खेबट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(वेबिथे नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- नीम का खेड़ा
पटवार हल्का :- मोहनपुरा
भू. अभि. नि. :- मांडलगढ़
तहसील :- मांडलगढ़
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा

खाता संख्या नया :- 86

खाता संख्या पुराना :- 84

काशतकार का नाम:-

वन-विभाग

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संवत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
323	3.1900	जंगलात	3.1900	0.0000		
326✓	3.0200	जंगलात	3.0200	0.0000		
676/310✓	6.0300	जंगलात	6.0300	0.0000		
677/314✓	25.1400	जंगलात	25.1400	0.0000		
678/317✓	78.0500	जंगलात	78.0500	0.0000		
679/318	8.0000	जंगलात	8.0000	0.0000		
680/324✓	18.1300	जंगलात	18.1300	0.0000		
681/325✓	0.1700	जंगलात	0.1700	0.0000		
682/311	0.1900	जंगलात	0.1900	0.0000		
683/327✓	10.1100	जंगलात	10.1100	0.0000		
कुल खसरे - 10	156-03	156-03	0.00			

यह प्रपत्र केवल शर्षी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Jul-2019



प्रतिलिपि

राज. कार. ले. अफा. नती. नकल जारी की गई

16/7/2019
श्री. राज. कार. ले. अफा. नती. नकल जारी की गई
श्री. राज. कार. ले. अफा. नती. नकल जारी की गई

आज दिनांक 15/08/2019 को जन्म अरकाट के जेष्ठ उपोक्त
 1553 दिनांक 08-08-19 एवं आदेश क्रमांक 1359 दिनांक
 03-08-19 एवं आदेश क्रमांक 1371 दिनांक 03-08-19 की पालना में
 व श्रीमान अतिरिक्त मुख्य व्यक्ति महोदय ग्रामीण विकास एवं
 पंचायती राज के आदेश क्रमांक FTA/स.उ/पांचवट/का.पा/2017 दिनांक 07-08-2019 एवं अधि सुरुआत सामाजिक अंग्रेजों के
 विषय में उचित प्रत्यक्ष की उक्तों में लक्षित कार्यकर्ता इगली
 एवं अन्य लोक-समागमारी योजनाओं के प्रिय-व्यक्त के संबंध
 में श्रीमान आयुक्त महोदय एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज के
 आदेश क्रमांक FTA/स.उ/पांचवट/का.पा/2017 दिनांक 07-08-2019
 दिनांक 13-08-19 की पालना में अरकाट महोदय की अध्यक्षता में
 उपरोक्त विषयों में श्री ज्ञानेश्वरी बार्शी के निदेशों में
 ग्राम पंचायत भवन में उपरोक्त दिनांक को ग्राम सभा का क्रम
 हुआ गया।

इससे पूर्व प्राप्त पत्रों में श्री ज्ञानेश्वरी बार्शी महोदय को
 हस्तान्तरित की गई। अनुमति उपरान्त उक्त विषयों की जानकारी एवं
 ग्राम में निवास कर रहे व्यक्तियों को सूचना हेतु की गई।
 उपरिष्ठित ग्राम बार्शी के लक्ष्य निम्न विषयों पर कार्य उपरान्त
 हस्ताव लिखे गये निम्न विवरण निम्नानुसार है।

हस्ताव से (1) ग्राम पंचायत महिला समिति सत्र 8 जनरा
 अर्थात् हेतु हस्ताव हस्तान्तरित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(1) अरकाट ग्राम पंचायत श्रीमती आशा देवी वैद्य (परामर्श)

(ii) उपखण्ड श्री सुदेवा उपार अंबर (परामर्श उपखण्ड)

(iii) वार्ड पैन 4 आदि देवी सुबट (संयोजक)

(iv) कान्ता देवी प्रोग वार्ड पैन (सहसंयोजक)

(v) ग्राम विकास अधिकारी - अमित बंसल (परामर्श सत्र समिति)

(vi) जलपत्र जलपत्र - लोहेरा बरद (परामर्श सत्र समिति)

(vii) ANM - सीमा सुबट (परामर्श सत्र समिति)

(viii) भावा सहयोगिनी आशा देवी वैद्य (परामर्श सत्र समिति)

(ix) जोगन बाड़ी कोषरती मोराला देवी बार्शी (परामर्श सत्र समिति)

(x) पञ्चा देवी श्री (परामर्श सत्र समिति)

- 1. मेरठ जेली
- 2. गान्धारी जेली नीला
- 3. गान्धारी जेली नीला
- 4. गान्धारी जेली नीला
- 5. गान्धारी जेली नीला
- 6. गान्धारी जेली नीला

- पेन लक्ष्म
- पेन लक्ष्म
- पेन लक्ष्म
- पेन लक्ष्म
- पेन लक्ष्म
- पेन लक्ष्म

उपरोक्त महिला समिति समूह का गठन का निम्नलिखित पद्धति द्वारा
कामा सम्पन्न प्रत्येक पद्धति किया गया।
उपरोक्त समूह द्वारा लोकजिनिम स्थलों पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा
तथा से पूर्व भ्रातृत्व महिलाओं के लिए भोजन एवं शिक्षा
लेवा अपेक्षित प्रबंध उपर्युक्त जानकारी प्रदान की गई।
उपरोक्त कार्य कारियों को इस समूह के गठन में जानकारी
प्रदान की गई। समूह के सदस्यों से निवेदन किया गया कि
यस में प्रसारित विचारों को ध्यान से लेना है। एवं शिक्षणों में
विषय में प्रमुख अंग्रेजों को। यदि वर्तमान समय में
हो रहे महिला उत्पीड़न, लिंगानुपात, गलत विवाह व
आजिबिदा विधान कोकन में का लाभ उल्लेख का प्रमाण है।

प्रस्ताव (नं. 1) :- स्वाच्छ सुस्वा अधिनिम की कार्य 28 के
सूच में लक्षित आर्थिक वितरण प्रणाली के डिवा-लामन के
लेख में हीमान अने मुख्य अन्वित महोदय राष्ट्रीय विचार
एवं पेशावली राज एवं गारान अन्वित महोदय स्वाच्छ एवं
नागरिक आधुनिक विभाग के पत्र क्रमांक N.C. / 01-08-2019
के तहत राष्ट्रीय स्वाच्छ सुस्वा योजना के पारदर्शी एवं
जवाबदेही रीति से डिवा-लामन एवं लक्षित आर्थिक वितरण
प्रणाली के अभिलेखों के प्रतीकरण में पारदर्शी एवं पेशावली
निर्देश जारी के लिए उपर्युक्त निर्देशों को गाम प्रशासन में
लिखित उचित प्रमाण की प्रमाण के प्रमाण के द्वारा प्रमाणित
2019 में प्राप्त सुस्वा 2019 तक गेहूं की प्राप्ति एवं वितरण (निम्नलिखित)

नाम	जाग	रकम	योग
अक्टूरी 2019	30269 1/2	18395	71874
नवम्बरी 2019	80743 1/4	18245	71504
दिसम्बर 2019	89524 1/4	15720	73604
जनवरी 2020	31760 1/4	16555	75214
फरवरी 2020	86407 1/4	13130	73277
मार्च 2020	89663 1/4	17410	74250
अप्रैल 2020	90619 1/4	19620	70923

राजधानी

प्रस्ताव सं. (3) :- राजस्थान राज्य में जन सेवा-आदि-निर्माण, परियोजना
 हस्त सचम भीलवाड़ा में अश्वीन सम्बल भीलवाड़ा परियोजना फेज-1,
 फेज-2-8 परियोजना स्वच्छ भाण्डलाबाद में अन्नगति लागू करने वाली
 वार्डों को लिए पटवार में मोहनपुर में निम्नलिखित
 व्यवस्था में लगाया जाना हस्ताक्षर है जिससे लिए ग्राम सभा
 वेंदर ग्राम पंचायत मोहनपुर में सचम स्वीकृति द्वारा प्रेषित
 नी अधिसूचना में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित
 की गई।

93

L-10

रामपुर

गाँव का नाम	व्यवस्था सं.	क्षेत्रफल	ग्राम पंचायत
फतेहपुर	3	6.1500	ग्रेड-आवासी
फतेहपुर	4	212.0700	ग्रेड-पहाड़
फतेहपुर	11	110.0100	ग्रेड-नदी
फतेहपुर	12	30.0300	ग्रेड-पहाड़
मोहनपुर	01	250.0400	ग्रेड-पहाड़
मोहनपुर	02/1	194.0500	ग्रेड-पहाड़
मोहनपुर	03/01	168.1300	ग्रेड-पहाड़
मोहनपुर	43/01	130.0100	ग्रेड-पहाड़
मोहनपुर	44	292.1000	ग्रेड-पहाड़
नीम का खेड़ा	326	3.0200	जंगलात
नीम का खेड़ा	676/310	6.0300	जंगलात
नीम का खेड़ा	677/314	25.1400	जंगलात
नीम का खेड़ा	678/317	72.8500	जंगलात
नीम का खेड़ा	680/324	18.1300	जंगलात
नीम का खेड़ा	681/325	0.1700	जंगलात
नीम का खेड़ा	683/327	10.1100	जंगलात

विमला

93

93

10.6/149 318-4400 इंगलैंड
 भारत सरकार तथा गौन वन विभागों के माध्यम से निम्नलिखित
 लोगों पर वर्गीकृत किया गया।

1. गौन विभाग के माध्यम से निम्नलिखित वन विभाग के माध्यम से
 0.0649, 0.0419, 0.0125, 0.0897 हेक्टेयर वन भूमि के
 निम्नलिखित आधेरासी अभिप्राय, जनजा. अभि. विभाग,
 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिप्राय
 कुर्मी पारि वार्डन वगैरह से जोने पर निगरानी रखी गई।

2. उपरोक्त विपक्षन हस्ताक्षर के दृष्टिकोणों तथा निहितार्थों पर
 गौन विभाग में हस्त तथा हस्त लेख पर विचार-विमर्श
 किया गया।

3. उपरोक्त विपक्षन हस्ताक्षर के संबंध में अनुसूचित जनजाति
 और अन्य परम्परागत वनवासी अभिप्राय 2006 के
 अधीन अधिनियम पर बंधन में विचार-विमर्श किया गया,
 विपक्षन के बिना हस्ताक्षर भूमि में पार्किंग लाईन लगाई जाने
 तथा धातुवालेयों को पैयबल छुविछा से बाधित किए
 जाने के विषये हैं, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और
 आदिम निवासी व्यक्ति, आवास या अन्य किसी भी
 आबिधि के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
 तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी से भूमि
 में किसी व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त नहीं किया गया है।

इसलिए गौन-वन उपयोज्य अभिप्राय पार्किंग लाईन
 निर्माण लगाई जाने के विषये श्रीलकाडा के वन विभाग
 के ऊपर उपस्थित गौमी में कुल हेक्टेयर भूमि के विपक्षन
 से बंधन में लंबितमाने से पारित किया गया।

हस्ताक्षर सं. (प) :- भारत गुरुकुलीकरण कार्य रसीराम गुरुकुली के
 स्वतः से गोपाल गुरुकुली के स्वतः तक छोटेका रोड
 पर का हस्ताक्षर समीक्षित करने किया जाता है।

नगरी



राष्ट्र

कलकत्ता



जमना

कलकत्ता



रसिक



राष्ट्र

प्रस्ताव सं. (7) रास्ता दुरुस्तीकरण कार्य जलेहुरा में का
प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. (8) रास्ता दुरुस्तीकरण कार्य धौरेला में का प्रस्ताव
सर्वसम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. (9) रास्ता दुरुस्तीकरण कार्य पीपली का पानी में
प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. (10) ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरकारी भवनों में वृद्धारोपण
लगाते के कार्य का अनुमोदन किया जाता है।

~~प्रस्ताव सं. (11)~~

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा :- ग्राम पंचायत सराणा
 ग्राम :- कैकडिया
 दिनांक :- 15/08/2019

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त प्रथम भीलवाडा के अधीन चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना फेज-2, पैकेज-8 परियोजना खण्ड माण्डलगढ के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पाइप लाइन के लिये पटवार क्षेत्र सराणा के खसरा संख्या 01, 402/283, 405/36

में लगाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये ग्राम सभा बैठक गांव सराणा में सरपंच रमेश चन्द जी चौधरी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम सभा तथा गांव वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिये भीलवाडा वन प्रभाग के कैकडिया गांव में 0.0959 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् सराणा से कैकडिया तक पाइप लाइन लगाई जाने के लिये विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बंध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन लगाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिये है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगाई जाने के लिये भीलवाडा के वन प्रभाग के कैकडिया गांव में 0.0959 हैक्टेयर भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

ग्राम सभा दिनांक 15/08/2019 के प्रस्ताव का उपर अनुमोदन किया गया।

साधव
 साधव
 ग्राम पंचायत-सराणा
 पं. माण्डलगढ

सरपंच
 ग्राम पंचायत- सराणा
 पं. माण्डलगढ

केवल नकल उपयोग के लिये

[illegible]



दिनांक 15/8/13 को राजा-प्राज्ञावली
 के आदेश क्रमांक 1593 दिनांक 08/08/13 एवं
 आदेश क्रमांक 1357 दिनांक 01/8/13 एवं दिनांक
 01/8/13 क्रमांक 1371 की पालना में व श्रीमान
 आतिरिक्त मुद्रा खासिक महोदय श्रीमान विनायक
 एवं पचापती राज के आदेश क्रमांक F (11) का.वि./
 आदेश / रसा. अ.सं.सं. / 2017 दिनांक 07/08/13
 की पालना में 29/8/13 सुरक्षा सामाजिक अर्थिक
 के विषय में व श्रीमान आधुनिक महोदय
 एवं श्रीमान विनायक व पचापती राज के
 आदेश क्रमांक F (16) का.वि. / नरेगा /
 वार्डेंड कार्ड योजना 2020-21 दिनांक 13/8/13
 की पालना में सरपंच रसा. श्री रामप्रसाद
 जी चौधरी की अध्यक्षता में उपरोक्त
 विषयों में किए जाने वाले कार्यों के विषय
 में ग्राम सभा का आयोजन किया गया
 इससे पूर्व ग्राम परिषदों की जानकारी
 दी गई उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष
 निम्न विषयों पर चर्चा उपरान्त ग्रामवासियों
 लिखित में ग्रामिका कार्यवाही विवरण
 निम्नानुसार है /

प्रतिष्ठित

मान

प्रमुख

वीरमल्लिकार्जुन

वि.सं.सं.

प्रमुख

ग्रामिका स. (1) श्रीमान महिलाओं के सशक्तिकरण
 सुरक्षा एवं सामाजिक संवेदनशीलता को
 दृष्टान्त में रखते हुए महिला बालिका संघ
 के माध्यम पर चर्चा हेतु ग्रामवासियों को
 ग्रामिका विवरण निम्नानुसार है /

गोपालाश्वर

प्रमुख

- 1) सरपंच श्रीमान पचापती श्रीमान रामप्रसाद चौधरी पदेन सरपंच
- 2) उपसरपंच श्रीमान पचापती श्रीमान चौधरी पदेन उपसरपंच
- 3) सरपंच द्वारा मनोनित एक शिक्षित महिला वार्ड पंच

प्रमुख

एक लक्ष्मी भी सम्भव है महिलाओं के मुकाबले
मे अधिक लक्ष्मी में पुरुष होने के कारणों से
ये लक्ष्मी मुक्त का लिंग निर्धारण तथा
वांछित मुक्त हस्ता के लिए जग जेतना संभव
करना

- (3) राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित भी
जा रही महिलाओं से सम्बन्धित अवसरों
मौकानाओं के विषय में समय समय पर
बैठक आयुक्त कलकत्ता मौकानाओं की जानकारी
महिलाओं तक पहुँचाने व बाल संरक्षण
अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है
उपायों के माध्यमों से इन समुह
के गहन भी जानकारी प्रदान की गई समुह के
सदस्यों से निवेदन किया गया कि पत्र में दर्शित
विन्दुओं पर ध्यान देना, एवं शिक्षण के
विषय में सुचना अतिरिक्त बाड़े ताकि वर्तमान
समय में हो रहे महिला उत्पीड़न, बाल विवाह
लिंग अनुपात व आर्थिक गिरावट भी
मौकानाओं की जागरूकता जागृत की
महिला बाल समुह द्वारा महिलाओं और
बच्चों के प्रति भौतिक उत्पीड़न एवं बरेबर हिंसा
की रोकथाम एवं उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी
मुद्दों पर चर्चा व समसमयों का समाधान
का प्रयास किया जाना है।

प्रस्ताव (2) राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा अधिनियम भी
चालू 28 अगस्त में लाईला सार्वजनिक वितरण
उपायों के किमान्यमन के सम्बन्ध में श्रीमान्
अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय प्राचीन
विकास व पंचायती राज विभाग एवं पंचायती
राज विभाग व जिला स्तरीय महोदय एवं

नि. 10/1
श्रीमान्

वि. 11/1

श्रीमान्

नि. 10/1

नि. 10/1

श्रीमान्

प. 10/1

नि. 10/1

नि. 10/1

श्रीमान्

नि. 10/1

श्रीमान्

नि. 10/1

नौबारा के तहत राबूदीप जाइए सुरक्षा योजना
के पारदर्शी रूप अनाम देवी सीमि क्रिया-योजना
लाइला खासतानि विवरण उपधानी के अतिमेल
के अमरीयता मे पारदर्शिता संचारित किमे मोमे
के अति उपरोक्ता दिनांक को अतिम मुक्त
के दुमा उपधानी की उदघाटन लेली के द्वारा
पारदर्शी 2019 के ग्राह अलारि 2019 तक गेहू
की प्राप्ति एवं विवरण का विवरण निम्नांकित
प्रत्युत मि का उपधा

ਭੋਯ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਭਰ - 3999

उत्तम गुणवत्ता का - एक एक एक (नया)

अणु (एटम) व क्लिष्टा का मिश्रण मिश्रण में PPL

६४ पृष्ठ ५ अन्तर्गत

क्र.सं.	भाई	जन्म तिथि	मौत तिथि	मौत स्थान	मौत वयस	मौत कारण
1	पुष्प	15.03.1939	12.03.1985	189-34	122.40	66.94
2	मन	16.04	124.20	191.14	96.13	94.99
3	अश्व	94.99	124.60	219.39	121.5	98.54
4	मन	96.54	167.66	206.20	120.75	85.45
5	मन	85.45	115.87	201.32	117.20	84.12
6	मन	84.12	125.20	209.32	128.75	80.57

उपरोक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त हो
कर उन्हें का माष पशुओं को दिये जा सकते हैं
सुनना या भाग्य का दिवार दिवस का
जब सम्पत्ति से क्षय हो जाये

प्रस्ताव क्र. 73) कार्यालय अधिष्ठात्री अग्निपाला जन निवास
अग्निपालात्री विभाग परिचालना वर्ष माह 5 लाह
जिला मीलवाडा आ आदेश क्रमांक अ.अ. (परि.)
वर्ष / माह 5 - 19-20 / 361-62 दिनांक 14/7/2017 के
आदेशानुसार रागारमान राज्य जन सेवा, अग्नि.
विभाग परिचालना वृत्त उपम मीलवाडा के अग्नि
राज्य ल पेयमाल परिचालना के अं - 2 पेयमाल -
8 परिचालना वर्ष माह 5 लाह के आदेशानुसार

जमनी

२०२५

010205005

2 1 1 2

7/1/19

लगाने जाने वाली पारमलारि के लिए
 पटनार सेज सरगा के लमरा लमरा न।
 ५०२/३४३, ५०५/३६ लमरा गंगा प्रल्लापित
 है जो भीलवाड़ वन विभाग के के बड़िया
 गांव में ०.००३५ हेक्टेयर वन भूमि में
 सरगा से के बड़िया गांव तक पारमलारि
 लगाने के लिए विन्यास पूर्वक चरबी की
 गर्ब उपरोक्त प्रल्लापित भूमि में पारमलारि
 लगाने जाने तथा छात्रपाषाणों को पैग अल
 सुविधा से लाभाधिकृत किसे जाने के लिए
 है तथा कोई अनुमानित जानकारी और
 आदि निवासी लेनी, आवास आ, भवन
 मिली भी आशीर्वाद के लिए इन को
 उपभोग नहीं कर रहा है तथा डा
 और आदि पनवासी को भूमि में बड़
 रक्षात्मक वन अधिकार उद्घृत नहीं किया
 गया है उपरोक्त प्रल्लापित पर चरबी
 का विन्यास विन्यास किया गया तथा पारमलारि
 लारित विन्यास लगाने के लिए भीलवाड़
 के वन विभाग के के बड़िया गांव में ०.००३५
 हेक्टेयर भूमि के विषयन को के बड़िया
 सर्वसम्पत्ति से पारित किया गया।

जगदीश
 गोपाल

गोपाल

दि. ३०/३/०३

दि. ३०/३/०३

दि. ३०/३/०३

बाहादुर
 गोपाल

दि. ३०/३/०३

दि. ३०/३/०३

दि. ३०/३/०३